



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3063]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2017/कार्तिक 9, 1939

No. 3063]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2017/KARTIKA 9, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3495(अ).—जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संकल्प 2356 (2017) को 02 जून, 2017 को अपनी 7958वीं बैठक में, संकल्प 2371 (2017) को 05 अगस्त, 2017 की अपनी 8019वीं बैठक में और संकल्प संख्या 2375 (2017) को 11 सितंबर, 2017 को अपनी 8042वीं बैठक में (इस आदेश के साथ क्रमशः अनुसूची VII, VIII और अनुसूची IX के रूप में संलग्न) अंगीकृत किया जिनमें सभी राष्ट्रों से कतिपय उपाय करने की अपेक्षा की गई है;

और जबकि, केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत उपर्युक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अंतर्गत एक आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है।

अतः अब, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के भाग 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार का.आ. 1549 (अ), दिनांक 15 मई, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से संबंधित आदेश, 2017 विषयक सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**- (1) इस आदेश को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य आदेश, 2017 विषयक सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन कहा जाएगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. उक्त आदेश में,-

(1) पैराग्राफ 2 में, खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टि को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "(क) 'संकल्पों' से आशय है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से संबंधित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प, नामतः 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) 2317 (2017 और 2375 (2017)";

(2) पैराग्राफ 3 में,-

क. उप पैराग्राफ (घ), को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(घ) अपने क्षेत्र में स्थित ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों पर तत्काल रोक लगाई जाए जो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे व्यक्तियों या निकायों के स्वामित्वाधीन हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं जिनका उल्लेख-

1. एस/2009/364 के भाग 'क' और भाग 'ग' (इस आदेश का परिशिष्ट III);
2. संकल्प 2087 (2013) का अनुबंध I और II;
3. संकल्प 2094 (2013) का अनुबंध I और II;
4. 17 दिसंबर, 2016 को सुरक्षा परिषद प्रेस विज्ञप्ति एससी/12636 द्वारा यथा संशोधित संकल्प 2270 (2016) का अनुबंध I, II और III (इस आदेश का परिशिष्ट VII);
5. संकल्प 2321 (2016) का अनुबंध I और II;
6. संकल्प 2356 (2017) का अनुबंध I और II;
7. संकल्प 2371 (2017) का अनुबंध I और II में; और
8. संकल्प 2375 (2017) का अनुबंध I और II में,

अन्य अवैध साधनों सहित कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु संबंधी व्यापक विनाश और बैलेस्टिक मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने, सहायता करने या उनके दिशा-निर्देशों पर उनकी ओर से कार्य करने वाले निकायों या व्यक्तियों के रूप में किया गया है और यह सुनिश्चित करना कि उनके नागरिकों या अन्य व्यक्तियों या निकायों द्वारा भारत के भीतर कोई निधि, वित्तीय परिसंपत्तियां या आर्थिक संसाधन ऐसे व्यक्तियों या निकायों के लाभार्थ उपलब्ध कराने पर रोक लगे।

टिप्पणी 1: परिसंपत्ति कीलन कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बाहर ऐसी सभी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों के मामले में लागू होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य सरकार के निकायों अथवा कोरिया की वर्कर्स पार्टी या उनकी ओर से या उनके निर्देशानुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों या निकायों या उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रित ऐसे निकायों के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों या संकल्प के अंतर्गत प्रतिबंधित अन्य क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं।

टिप्पणी 2: ये उपाय संकल्प 1718 (2006) के अनुच्छेद 9 और संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 32 में दी गई रियायतों के अध्येधीन हैं”;

ख. उप पैराग्राफ (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ड) निम्नलिखित अर्थात्

1. एस/2009/364 के भाग 'ग' (इस आदेश के परिशिष्ट III);
2. संकल्प 2087 (2013) के अनुबंध I;
3. संकल्प 2094 (2013) के अनुबंध I;
4. संकल्प 2270 (2016) के अनुबंध I;
5. संकल्प 2321 (2016) के अनुबंध I;
6. संकल्प 2356 (2017) के अनुबंध I;

7. संकल्प 2371 (2017) के अनुबंध। और

8. संकल्प 2375 (2017) के अनुबंध।

में शामिल ऐसे व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का भारत में प्रवेश या पारगमन प्रतिबंधित करना जिन्हें कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु संबंधी, बैलेस्टिक मिसाइल संबंधी और अन्य व्यापक विनाश के आयुध से संबंधित कार्यक्रम की नीतियों का समर्थन करने या उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार माना जाता हो, परंतु उपर्युक्त किसी बात के आधार पर केंद्र सरकार अपने नागरिकों का अपने भू-भाग में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाध्य नहीं होगी।

टिप्पणी: यात्रा प्रतिबंध संबंधी ये उपाय संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 10 और संकल्प 2094 (2013) के पैराग्राफ 10 में दी गई छूट के अध्यक्षीन हैं”;

ग. उप पैराग्राफ (i), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(i) निधियों की निकासी या अंतरण के साथ-साथ वित्तीय प्रावधानों, अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र के या वहाँ से होकर या अपने नागरिकों या अपने कानून के अंतर्गत गठित निकायों को या उनके द्वारा (जिनमें विदेशी शाखाएं भी शामिल हैं), अपने क्षेत्र के व्यक्ति या बैंकों जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को या उनके द्वारा कोरियाई लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को या वहाँ से वित्तीय या अन्य परिसंपत्तियों या संसाधन सहित बड़ी मात्रा में रोकड़ और *स्वर्ण कोरियर* सहित अन्य माध्यम से स्वर्ण का प्रेषण जिससे कोरिया के लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु या बैलेस्टिक कार्यक्रमों, या संकल्प द्वारा प्रतिबंधित अन्य कार्यक्रमों और संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों से परिहार में मदद मिलती हो, साथ ही अपने भू-भाग या एतद्पश्चात् अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले भू-भागों या अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली या एतद्पश्चात् इसके अधिकार-क्षेत्र में आ जाने वाली वित्तीय या अन्य परिसंपत्तियों अथवा संसाधनों, जो ऐसे कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से जुड़े हों, का कीलन करना और अपने राष्ट्रीय प्राधिकार तथा विधायन के अनुसार ऐसे सभी लेन-देन रोकने के लिए अधिक निगरानी की व्यवस्था करना”;

घ. उप पैराग्राफ (द), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(द) भारतीय नागरिकों, भारतीय क्षेत्राधिकार के अध्यक्षीन व्यक्तियों और निकायों या इसके भू-भाग में स्थापित निकायों को कोरिया के लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में वाहनों का पंजीकरण कराने, किसी जलयान पर कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के ध्वज का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने और किसी जलयान का स्वामित्व प्राप्त करने, किराए पर देने, परिचालित करने, चार्टर करने से या किसी जलयान के वर्गीकरण, प्रमाणन अथवा संबंधित सेवाओं की व्यवस्था करने या कोरिया के लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के झंडायुक्त किसी वाहन को बीमित करने से रोकना। यदि समिति मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम अनुमोदन प्रदान नहीं करती है तो उक्त प्रावधान बिना किसी अपवाद के लागू होंगे”;

ङ. उप पैराग्राफ (प), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(प) अपने नागरिकों द्वारा या अपने झंडे वाले जलयानों या वायुयानों, चाहे उनकी यात्रा का आरंभ कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से हो रहा हो या नहीं, का उपयोग कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से कोयले, लोहे या लौह अयस्क की खरीद के लिए करने पर प्रतिबंध लगाना। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 8 में दी गई छूटों और पद्धतियों के अध्यक्षीन हैं”;

च. उप पैराग्राफ (य), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(य) अपने क्षेत्र में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य बैंकों की नई शाखाओं, अनुषांगिक संस्थानों और प्रतिनिधि कार्यालयों के खोले जाने और परिचालन पर प्रतिबंध लगाना; और अपने क्षेत्र के भीतर या अपने क्षेत्राधिकार के अध्यक्षीन वित्तीय संस्थानों, बैंकों जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को नए संयुक्त उद्यम की स्थापना करने और लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया के बैंकों में स्वामित्व हित प्राप्त करने या उनके साथ संबंध बनाने या बनाए रखने पर समिति द्वारा अग्रिम अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में प्रतिबंध लगाना; और वर्तमान शाखाओं,

अनुषांगिक संस्थानों और प्रतिनिधि कार्यालयों को बंद करने हेतु आवश्यक उपाय करना और ऐसे संयुक्त उपक्रमों, स्वमिद्व हितों और कोरिया के लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य बैंकों के साथ परस्पर बैंकिंग संबंधों को समाप्त करना”;

छ. उप पैराग्राफ (य ख), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(य ख) भारत या उसके क्षेत्राधिकार के भीतर वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में नए प्रतिनिधि कार्यालयों या उनके अनुषांगिक कार्यालयों, शाखाओं या बैंक में खाते खोलने को प्रतिबंधित करना”;

ज. उप पैराग्राफ (य ड) और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(य च) अपने नागरिकों, या अपने झण्डे वाले वाहनों या वायुयानों, चाहे उनकी यात्रा का उद्देश्य कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भूभाग से रहा हो या नहीं, समुद्री खद्य पदार्थ (जिससे मछली, पर्पटीय जलचर, मोलस्क और सभी प्रकार के अन्य रीढ़विहीन जलचर शामिल हैं) की खरीद पर प्रतिबंध लगाना। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 9 में दी गई छूटों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन हैं;

(य छ) अपने नागरिकों अथवा अपने झण्डे वाले जलयानों अथवा वायुयानों, चाहे उनकी यात्रा का उद्देश्य कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के क्षेत्र से हो रहा हो या नहीं, द्वारा लेड या लेड अयस्क की खरीद को प्रतिबंधित करना। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 10 में दी गई छूटों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन हैं;

(य ज) संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 11 के अनुरूप कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के नागरिकों के लिए अपने क्षेत्राधिकार में कार्य प्राधिकार की कुल संख्या का विनियमन;

(य झ) भारतीय नागरिकों द्वारा या भारत में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के निकायों या व्यक्तियों के साथ नए संयुक्त उपक्रम या सहकारी निकाय खोलने, अतिरिक्त निवेश द्वारा वर्तमान संयुक्त उपक्रम का विस्तार करने, चाहे वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सरकार के लिए या उसकी ओर से कार्य कर रहे हो या नहीं, पर प्रतिबंध लगाना जब तक कि ऐसे संयुक्त उपक्रमों या सहकारी निकायों को समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम में अनुमोदित न कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों अथवा कोऑपरेटिव संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा। यदि संकल्प 2375 (2017) के पैरा 18 में उल्लिखित कार्य प्रक्रिया के अनुसार समिति द्वारा इन्हें बंद किए जाने से छूट न दी गई हो;

(य ञ) अपने भूक्षेत्रों के जरिए अथवा अपने नागरिकों द्वारा अथवा अपने ध्वजयुक्त जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके, चाहे वे उसके भूक्षेत्रों से चलाए गए हों अथवा नहीं, सभी कंडेनसेटों और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना;

(य ट) अपने भूक्षेत्रों के जरिए अथवा अपने नागरिकों द्वारा अथवा अपने ध्वजयुक्त जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके, चाहे उसके भूक्षेत्रों से चलाए गए हों अथवा नहीं, सभी परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण पर रोक लगाना। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैरा 14 में उल्लिखित रियायतों और कार्यविधियों के अध्यधीन हैं;

(य ठ) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को कच्चे तेल की आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैरा 15 में उल्लिखित छूटों और कार्यविधियों के अध्यधीन हैं;

(य ड) अपने नागरिकों द्वारा, अथवा अपने ध्वज जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके, चाहे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भूक्षेत्रों से चले हों अथवा नहीं, का इस्तेमाल करके कपड़ों (रेशों और अंशतः अथवा पूर्णतः तैयार हो चुके परिधान उत्पादों सहित किंतु उन तक ही सीमित नहीं) के प्रापण पर प्रतिबंध लगाना। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैरा 16 में उल्लिखित छूटों और कार्यविधियों के अध्यधीन हैं”;

ग. अनुसूची-1 के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

अनुसूची-1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (एस/आरईएस/1718/2006) दिनांक 14 अक्टूबर, 2006.

घ. अनुसूची-VI के उपरांत, निम्नलिखित अनुसूचियों को जोड़ा जाएगा, नामतः-

"अनुसूची-VII: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2356 (2017) दिनांक 2 जून, 2017";

"अनुसूची- VIII: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2371 (2017) दिनांक 5 अगस्त, 2017"

"अनुसूची- IX: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2375 (2017) दिनांक 11 सितम्बर, 2017"

[मिसिल सं. एई-1/102/11(ए)/2017]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव (डी एंड आईएसए)

टिप्पणी:- मुख्य आदेश सा.आ. 1549 (अ) दिनांक 15 मई, 2017 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

“अनुसूची-I

संयुक्त राष्ट्र

एस/आरईएस/1718(2006)

सुरक्षा परिषद

डिस्टर.: सामान्य

14 अक्टूबर, 2006

मूल पाठ: अंग्रेजी

संकल्प 1718(2006)

सुरक्षा परिषद द्वारा 14 अक्टूबर, 2006 को आयोजित अपनी 5551वीं बैठक में अंगीकृत

सुरक्षा परिषद,

अपने पूर्ववर्ती संगत संकल्पों जिनमें संकल्प 825(1993), संकल्प 1540(2004) और विशेषतः संकल्प 1695(2006) शामिल हैं और साथ ही अपने अध्यक्ष के दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के वक्तव्य का स्मरण करते हुए;

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि परमाणु, रासायनिक तथा जैविक हथियारों और साथ ही इसकी आपूर्ति के तरीकों का प्रसार किए जाने से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है,

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) के इस दावे पर कि उसने 9 अक्टूबर, 2006 को परमाणु हथियार का एक परीक्षण किया है और उस चुनौती पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जो परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि से जुड़ी हैं और परमाणु हथियारों के अप्रसार संबंधी वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के बाबत अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से संबंधित है तथा इस क्षेत्र में तथा इससे इतर क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता के लिए उत्पन्न खतरे से जुड़ी है,

इस बाबत अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कि परमाणु हथियारों के अप्रसार संबंधी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए और इस बात का स्मरण करते हुए कि डीपीआरके को परमाणु हथियार अप्रसार संधि के अनुसार परमाणु हथियार क्षमता का दर्जा नहीं दिया जा सकता,

परमाणु हथियार अप्रसार संधि से प्रत्याहार करने के बाबत डीपीआरके की घोषणा और उसके परमाणु हथियारों के प्रसार संबंधी कारगुजारी पर खेद व्यक्त करते हुए,

आगे इस बात पर भी खेद व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके ने बिना शर्त छः पक्षीय वार्ता में वापस लौटने से इन्कार किया है,

चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिषद तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 19 सितंबर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य का अनुसमर्थन करते हुए,

इस महत्व का उल्लेख करते हुए कि डीपीआरके अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य सुरक्षा एवं मानवीय सरोकारों की ओर ध्यान दे,

इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके द्वारा दावा किए गए परीक्षण से इस क्षेत्र तथा इससे इतर क्षेत्रों में तनाव बढ़ा है और इसलिए यह निर्धारित करते हुए कि इससे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्पष्ट तौर पर खतरा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत कार्रवाई करते हुए तथा अनुच्छेद 41 के तहत उपाय करते हुए,

1. संगत संकल्पों विशेषतः संकल्प 1695 (2006), और साथ ही दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 को अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य (एस/पीआरएटी/2006/41) का गंभीर उल्लंघन करते हुए, 9 अक्टूबर, 2006 को डीपीआरके द्वारा दावा किए गए परमाणु परीक्षण की निंदा करती है जिसमें यह भी शामिल है कि इस प्रकार के परीक्षण की अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भर्त्सना की जाएगी और यह अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए स्पष्ट तौर पर खतरा होगा।

2. यह मांग करती है कि डीपीआरके आगे कोई परमाणु परीक्षण न करे अथवा कोई बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र न छोड़े;

3. यह मांग करती है कि डीपीआरके तत्काल परमाणु हथियार अप्रसार संधि से प्रत्याहार की घोषणा वापस ले;

4. आगे यह मांग करती है कि डीपीआरके परमाणु हथियार अप्रसार संधि तथा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) रक्षोपायों के दायरे में वापस लौटे और परमाणु हथियार अप्रसार संधि में शामिल सभी पक्षकारों के लिए इस अपेक्षा का उल्लेख करती है कि वे इस संधि के दायित्वों का अनुपालन करना जारी रखें;

5. यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यकलाप रद्द करेगा और इस संदर्भ में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण पर रोक लगाने संबंधी अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करेगा;

6. यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने सभी परमाणु हथियारों का पूर्णतः, सत्यापनीय एवं अनुक्रमणीय तरीके से परित्याग करेगा और परमाणु हथियार अप्रसार संधि और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा करार (आईएईए आईएनएफआईआरसी/403) की निबंधन व शर्तों के तहत पक्षकारों पर लागू दायित्वों के अनुसार कार्य करेगा और इन अपेक्षाओं से इतर आईएईए पारदर्शिता उपायों की व्यवस्था करेगा जैसे व्यक्तियों, दस्तावेजों, उपकरणों तथा सुविधाओं की सुलभता, जो आईएईए द्वारा अपेक्षित हो तथा वह आवश्यक समझे;

7. साथ ही यह भी निर्णय लेती है कि डीपीआरके व्यापक विध्वंस करने वाले सभी मौजूदा हथियारों और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को पूर्णतः, सत्यापनीय एवं अनुक्रमणीय तरीके से परित्याग करेगा;

8. निर्णय लेती है कि:

(क) सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके के भूक्षेत्र से अथवा उनके नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण अथवा उनके जहाजों अथवा हवाई जहाजों जिन पर उनके ध्वज लगे हों, चाहे वे उनके भूक्षेत्र से निकलें हों अथवा नहीं, पर रोक लगाएंगे:

(i) पारंपरिक हथियारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर के प्रयोजनार्थ यथावर्णित कोई लडाकू टैंक, सशस्त्र लडाकू वाहन, बृहत् कैलिबर तोप प्रणाली, लडाकू जहाज, हमलावार हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, प्रक्षेपास्त्र अथवा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, अथवा संबंधित सामग्री जिनमें स्पेयर पार्ट्स अथवा सुरक्षा परिषद अथवा निम्नलिखित पैरा 12 (समिति) द्वारा स्थापित समिति द्वारा यथानिर्धारित मद:

(ii) दस्तावेज एस/2006/814 तथा एस/2006/815 में उल्लिखित सूचियों में निर्धारित सभी मद, सामग्री, उपकरण, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी, जब तक कि इस संकल्प को अंगीकार किए जाने की तारीख से 14 दिनों के भीतर समिति ने दस्तावेज एस/2006/816 में शामिल सूची को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रावधानों में संशोधन अथवा पूरे न किये हों और साथ ही सुरक्षा परिषद अथवा समिति द्वारा निर्धारित ऐसे मद, सामग्री, उपकरण, वस्तु तथा

प्रौद्योगिकी जो डीपीआरके के परमाणु संबंधी, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र संबंधी अथवा व्यापक विध्वंस लाने वाले हथियार कार्यक्रमों में योगदान करते हों;

(iii) सुख-साधन की वस्तुएं;

(ख) डीपीआरके उपर्युक्त उप पैरा (क) (i) और (क) (ii) में शामिल सभी मदों का निर्यात बंद करेगा और सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों द्वारा डीपीआरके से इस प्रकार के मदों का प्रापण अथवा डीपीआरके के भूक्षेत्र से आने वाले अथवा न आने वाले उनके ध्वजयुक्त जहाजों अथवा हवाई जहाजों का उपयोग निषिद्ध करेंगे;

(ग) सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों द्वारा डीपीआरके को अथवा उनके भूक्षेत्रों से अथवा डीपीआरके के नागरिकों से अथवा उसके भूक्षेत्र से तकनीकी प्रशिक्षण, सलाह, सेवाओं अथवा प्रावधान, विनिर्माण, रख-रखाव से संबंधित सहायता के अंतरण अथवा उप पैरा (क) (i) और (क) (ii) में उल्लिखित मदों के उपयोग पर रोक लगाएंगे;

(घ) सभी सदस्य राष्ट्र अपने-अपने संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार उन निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों पर इस संकल्प को अंगीकार किए जाने की तारीख से अथवा इसके बाद किसी भी समय से तत्काल रोक लगाएंगे जिनका स्वामित्व अथवा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण समिति अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अन्य अवैध तरीकों से डीपीआरके के परमाणु संबंधी, व्यापक विध्वंस लाने वाले अन्य हथियारों तथा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र संबंधी कार्यक्रमों में सहायता देने में किया जा रहा हो अथवा उनकी ओर से अथवा उनके इशारे पर अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हो और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की निधियों, वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों को उनके भूक्षेत्र से उनके नागरिकों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों अथवा संस्थानों के लाभार्थ उपयोग किए जाने से रोका जाए;

(ङ) सभी सदस्य राष्ट्र समिति अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर उनके परिजनों सहित अपने भूक्षेत्रों से होते हुए प्रवेश करने अथवा पारगमन करने पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे जो डीपीआरके के परमाणु संबंधी, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र संबंधी और बड़े पैमाने पर विध्वंसकारी हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों का समर्थन करने अथवा इसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार रहे हों, परन्तु इस पैरा में वर्णित कोई भी बात किसी राष्ट्र को अपने ही नागरिकों को उनके भूक्षेत्र में प्रवेश से इन्कार करने के लिए बाध्य नहीं करेगी;

(च) इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और इसके द्वारा परमाणु, रासायनिक अथवा जैविक हथियारों की अवैध तस्करी, इनकी आपूर्ति के तरीकों तथा संबंधित सामग्रियों पर रोक लगाने के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों से आवाहन किया जाता है कि वे अपने राष्ट्रीय प्राधिकारों एवं कानून के अनुसार तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप साथ मिलकर कार्रवाई करें जिनमें डीपीआरके से तथा डीपीआरके तक जाने वाले मालवाहक जहाजों की निगरानी, जैसा आवश्यक हो, करना शामिल है;

9. निर्णय लेती है कि उपर्युक्त पैराग्राफ 8 (घ) में उल्लिखित प्रावधान उन वित्तीय, अन्य परिसंपत्तियों अथवा संसाधनों पर लागू नहीं होते हैं जिनका निर्धारण संबंधित राष्ट्रों ने निम्नवत् किया हो:

(क) जो बुनियादी खर्चे हेतु अपेक्षित होंगे जैसे खाद्य सामग्रियों हेतु भुगतान, किराया अथवा गिरवी रखने, औषध तथा चिकित्सीय इलाज, कर, बीमा प्रीमियम तथा लोक सेवा प्रभारों के लिए भुगतान, अथवा राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उचित व्यावसायिक शुल्क के भुगतान और कानूनी सेवा प्रावधान से संबंधित किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति अथवा शुल्क या सेवा प्रभारों के भुगतान, जिसका उद्देश्य संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को इस बाबत सूचना देने के बाद कि जहां उचित हो इस प्रकार की निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों के परिचालन के लिए प्राधिकृत किया जाए, रोक लगाई गई निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों का नियमित प्रतिधारण अथवा अनुरक्षण करना है और समिति द्वारा अस्वीकार न लिए जाने की स्थिति में इस प्रकार की सूचना दिए जाने की तिथि से 5 कार्य दिवस के भीतर;

(ख) जो असाधारण व्यय के लिए अपेक्षित होंगे किन्तु इस प्रकार का निर्धारण संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को सूचित किया गया हो और समिति ने इसे अनुमोदित कर दिया हो; अथवा

(ग) जो किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचन धारणाधिकार अथवा निर्णय के अध्यक्षीन हो जिनमें निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों का उपयोग धारणाधिकार अथवा निर्णय के लिए किया जाए बशर्ते यह धारणाधिकार अथवा निर्णय वर्तमान संकल्प की तिथि से पूर्व निष्पन्न किया गया हो, उपर्युक्त पैरा 8 (घ) में उल्लिखित किसी व्यक्ति अथवा सुरक्षा परिषद अथवा समिति द्वारा अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति अथवा संस्था के लाभार्थ न हो और संबंधित राष्ट्रों ने समिति को सूचित किया हो;

10. निर्णय लेती है कि उपर्युक्त पैरा 8 (ङ) द्वारा लागू किए गए उपाय ऐसी स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह निर्धारित करती हो कि इस प्रकार की यात्रा मानवीय आधार पर औचित्यपूर्ण है जिनमें धार्मिक दायित्व शामिल हैं, अथवा जहां समिति यह निष्कर्ष निकालती हो कि इस प्रकार की छूट देने से वर्तमान संकल्प के उद्देश्यों की पूर्ति होगी;

11. सभी सदस्य राष्ट्रों का आह्वान करती है कि वे उपर्युक्त पैरा 8 के प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के संबंध में इस संकल्प को अंगीकार किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत करें;

12. निर्णय लेती है कि अपने अनंतिम कार्यवाही नियमावली के नियम 28 के अनुसार, सुरक्षा परिषद की एक समिति, जिसमें परिषद के सभी सदस्यगण शामिल हों, निम्नलिखित कार्य करेगी;

(क) सभी राष्ट्रों विशेषतः उपर्युक्त पैरा 8 (क) में यथाउल्लिखित मदों, सामग्रियों, उपकरणों, वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने वाले अथवा रखने वाले राष्ट्रों से उनके द्वारा इस संकल्प के पैरा 8 द्वारा लागू किए गए उपायों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना और इस संबंध में उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली सूचनाएं प्राप्त करना;

(ख) इस संकल्प के पैरा 8 द्वारा लागू उपायों के कथित उल्लंघन के संबंध में सूचनाओं की जांच करना तथा उस पर समुचित कार्रवाई करना;

(ग) उपर्युक्त पैरा 9 तथा 10 में निर्धारित छूट हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार करना तथा निर्णय लेना;

(घ) उपर्युक्त पैरा 8 (क) (i) और 8 (क) (ii) के प्रयोजनों हेतु विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अतिरिक्त मदों, सामग्रियों, उपकरण, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्धारण करना;

(ङ) उपर्युक्त पैरा 8 (घ) तथा 8 (ङ) द्वारा किए गए उपायों के अध्यक्षीन अतिरिक्त व्यक्तियों तथा संस्थाओं का निर्धारण करना;

(च) इस संकल्प द्वारा लागू उपायों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु अपेक्षित दिशा-निर्देशों को प्रख्यापित करना;

(छ) विशेष तौर पर उपर्युक्त पैरा 8 द्वारा लागू उपायों की कारगरता को सुदृढ़ करने हेतु तौर-तरीकों के बारे में सुरक्षा परिषद को कम से कम प्रत्येक 90 दिनों के अंतराल पर रिपोर्ट भेजना जिसके साथ उनकी टिप्पणियां तथा सिफारिशें भी शामिल हों;

13. संबंधित राष्ट्रों द्वारा इस बाबत उनके राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का स्वागत करती है तथा प्रोत्साहित करती है कि ऐसी कार्रवाई से बचा जाए जिससे तनाव बढ़ते हों और 6 पक्षीय वार्ता को यथाशीघ्र पुनः शुरू किया जाए ताकि चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 19 सितंबर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य को जल्द से जल्द लागू किया जा सके ताकि कोरियाई प्रायद्वीप को प्रामाणिक तरीके से परमाणु हथियारमुक्त किया जा सके और कोरियाई प्रायद्वीप तथा उत्तर पूर्वी एशिया में शांति एवं स्थिरता बनाए रखी जा सके;

14. डीपीआरके से आह्वान करती है कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के 6 पक्षीय वार्ता में तत्काल लौटे और चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 19 सितंबर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य को शीघ्रता से लागू करने की दिशा में कार्य करे;

15. इस बात की पुष्टि करती है कि वह डीपीआरके की कार्रवाइयों की निरंतर समीक्षा करेगी और यह कि उपर्युक्त पैरा 8 में सन्निहित उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए वह तैयार रहेगी जिनमें इस संकल्प के प्रावधानों का डीपीआरके द्वारा अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में उस समय आवश्यकतानुसार इन उपायों को सुदृढ़ बनाना, संशोधन करना, इन्हें निरस्त करना अथवा प्रत्याहार करना शामिल है;

16. इस बात का उल्लेख करती है कि यदि अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हुई तो आगे निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होगी;

17. निर्णय लेती है कि वह सक्रियता से इस मामले पर विचार करती रहेगी।

"अनुसूची VII

एस/आरईएस/2356(2017)

संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद

डिस्टर: जनरल

2 जून, 2017

संकल्प 2356 (2017)

सुरक्षा परिषद द्वारा 2 जून, 2017 को अपनी 7958वीं बैठक में अंगीकृत

सुरक्षा परिषद

संकल्प 825 (1993), संकल्प 1540 (2004), संकल्प 1695 (2006), संकल्प 1718 (2006), संकल्प 1874 (2009), संकल्प 1887 (2009), संकल्प 2087 (2013), संकल्प 2094 (2013), संकल्प 2270 (2016) और संकल्प 2321 (2016) और अपने अध्यक्ष के 6 अक्तूबर, 2006 (एस/पीआरएसटी/2006/41), 13 अप्रैल, 2009 (एस/पीआरएसटी/2009/7) और 16 अप्रैल, 2012 (एस/पीआरएसटी/2012/13) के वक्तव्यों सहित इसके पूर्व सुसंगत संकल्पों का स्मरण करते हुए,

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि परमाणु, रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रसार और उनकी सुपुर्दगी के तौर तरीके अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं,

गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके ने बैलिस्टिक मिसाइलों को बार-बार लॉन्च करके या लॉन्च के प्रयासों के माध्यम से सुरक्षा परिषद के सुसंगत संकल्पों का उल्लंघन किया है और यह उल्लेख करते हुए कि सभी ऐसे बैलिस्टिक कार्यक्रमों डीपीआरके के परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम के विकास में सहयोग करते हैं और इस क्षेत्र तथा उससे आगे के क्षेत्रों में तनाव बढ़ाते हैं।

गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके के प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री से राजस्व पैदा होता है जिसका उपयोग परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों को हासिल करने में किया जाता है जबकि डीपीआरके के नागरीकों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कार्य करते हुए और इसके अनुच्छेद 41 के तहत किए गए एक के बाद एक कदम उठाते हुए,

1. डीपीआरके द्वारा 9 सितंबर, 2016 से सुरक्षा परिषद संकल्पों का उल्लंघन की खुली अवहेलना करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपणों तथा अन्य गतिविधियों सहित परमाणु हथियारों तथा बैलिस्टिक मिसाइल विकास गतिविधियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है;
2. अपने निर्णयों की पुनःपुष्टि करते हैं कि डीपीआरके अपने सभी परमाणु हथियारों और मौजूदा परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह, प्रमाणित तरीके से तथा स्थाई रूप से त्याग देगा और इनसे जुड़ी समस्त गतिविधियों को तत्काल बंद कर देगा, साथ ही आगे बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक वाले कोई प्रक्षेपण नहीं करेगा, परमाणु परीक्षण अथवा कोई अन्य उकसावे वाला कार्य नहीं करेगा; अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी सारी गतिविधियों को बंद करेगा और इस संदर्भ में मिसाइल प्रक्षेपणों पर रोक की अपनी पूर्व-विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पुनः स्वीकार करेगा और व्यापक विनास वाले अन्य मौजूदा हथियारों तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से, प्रमाणित तरीके से और स्थाई रूप से त्याग देगा;
3. परवर्ती संकल्पों द्वारा यथा संशोधित संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 द्वारा लागू उपायों को रद्द करती है और निर्णय करती है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8(घ) में विनिर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के अनुलग्नक-I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं और उनकी ओर से या उनके निर्देश पर कार्यरत किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं, और उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन संस्थाओं, वे भी जो अवैध उपायों के माध्यम से हों, पर लागू होंगे और संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (ड.) में विनिर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध व्यक्तियों और उनकी ओर से या उनके निर्देश पर कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे।
4. कोरियाई प्रायद्वीप और समूचे उत्तर-पूर्वी एशिया में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराती है, इस परिस्थिति के शांतिपूर्ण, राजनयिक एवं राजनीतिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और बातचीत के माध्यम से परिषद के सदस्यों और साथ-साथ अन्य राष्ट्रों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान के प्रयास का स्वागत करती है और कोरियाई प्रायद्वीप और उससे आगे के क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए वाले कार्य के इस महत्व पर बल देते हैं;
5. निर्णय लेती है कि वह सक्रियता से इस मामले पर विचार करती रहेगी।

अनुबंध-1

यात्रा प्रतिबंध/परिसंपत्ति जब्ती (व्यक्ति)

1. चू इल यू

क. विवरण: फिफ्थ ब्यूरो ऑफ द रिकोनायसेंस जनरल ब्यूरो के निदेशक। ऐसा माना जाता है कि चू डीपीआरके के लिए विदेशों में जासूसी का संचालन और विदेशी आसूचना संग्रहण करता था।

ख. उर्फ: चू इल यू

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 10 मई, 1945; जन्म-स्थान: मूसान, उत्तरी हैमयोंग प्रांत, डीपीआरके; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट संख्या: 736410010

2. चू योन चुन

क. विवरण: संगठन और मार्गदर्शन विभाग के उप-निदेशक, जो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और डीपीआरके की सेवा के लिए मुख्य कार्मिकों की नियुक्तियों के लिए निर्देश देता है।

ख. उर्फ: जो योन जुन

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 28 सितंबर, 1937; राष्ट्रीयता: डीपीआरके

3. छो ह्वी

क. विवरण: वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के प्रचार एवं आंदोलन विभाग के प्रथम उप-निदेश जो डीपीआरके की सभी मीडिया का नियंत्रण करना है और जनता को नियंत्रित करने के लिए सरकार इसका उपयोग करती है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्मवर्ष: 1954 या 1955; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; लिंग: पुरुष; पता: डीपीआरके

4. जो योंगे वान

क. विवरण: वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया संगठन और मार्गदर्शन विभाग के उप निदेशक, जो कोरिया वर्कर्स पार्टी और डीपीआरके की सेना के लिए महत्वपूर्ण कार्मिकों की नियुक्तियों के निर्देश देता है।

ख. उर्फ: चू यांगवोन

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 24 अक्तूबर, 1957; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; लिंग: पुरुष; पता: डीपीआरके

5. किम चोल नाम

क. विवरण: कोरिया कुमसान ट्रेडिंग कंपनी का अध्यक्ष, यह कंपनी जनरल ब्यूरो ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए आपूर्तियों की खरीद करती है और डीपीआर के लिए नकद राशि के मार्ग के तौर पर कार्य करती है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 19 फरवरी, 1970; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट सं. 563120238; पता डीपीआरके

6. किम क्योंग ओक

क. विवरण: संगठन और मार्गदर्शन विभाग के उप निदेशक, जो कोरिया वर्कर्स पार्टी और डीपीआरके की सेना के लिए महत्वपूर्ण कार्मिकों की नियुक्तियों के निर्देश देता है।

ख. उर्फ: किम क्योंग ओक

ग. पहचानकर्ता: जन्मवर्ष: 1937 अथवा 1938; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पता: प्योंगयांग, डीपीआरके

7. किम टोंग-हो

क. विवरण: टैनचोन कमर्शियल बैंक हेतु वियतनाम के प्रतिनिधि, जो हथियारों और मिसाइलों से जुड़ी बिक्री के लिए डीपीआरके की मुख्य वित्तीय संस्था है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 18 अगस्त, 1969; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट सं.745310111; लिंग: पुरुष; पता: वियतनाम

8. मिन ब्योंग चोल

क. विवरण: वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया संगठन और मार्गदर्शन विभाग के उप निदेशक, जो कोरिया वर्कर्स पार्टी और डीपीआरके की सेना के लिए महत्वपूर्ण कार्मिकों की नियुक्तियों के निर्देश देता है।

ख. उर्फ: मिन प्योंग-चोल, मिन ब्योंग चोल, मिन ब्योंग चुन

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 10 अगस्त, 1948; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; लिंग: पुरुष; पता: डीपीआरके

9. पेक से बोंग

क. विवरण: पेक से बोंग द्वितीय आर्थिक समिति के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय रक्षा आयोग के पूर्व सदस्य और मुनिशंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट (एमआईडी) के पूर्व उप निदेशक हैं।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 21 मार्च, 1938; राष्ट्रीयता: डीपीआरके;

10. पाक हान से

क. विवरण: द्वितीय आर्थिक समिति के उपाध्यक्ष, जो डीपीआरके के बालिस्टिक मिसाइलों के उत्पादनों की देखरेख करते हैं और कोरिया उत्खनन विकास कारपोरेशन, डीपीआरके की बालिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों से जुड़ी वस्तुओं एवं उपकरणों के प्रीमियर आर्म्स डीलर और मुख्य निर्यातक को निर्देश देते हैं।

ख. उर्फ: कांग म्योंग चोल

ग. पहचानकर्ता: राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट सं. 290410121; पता: डीपीआरके

11. पाक तू छुन

क. विवरण: पाक तू छुन म्युनिशंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट (एमआईडी) के पूर्व सचिव रहे हैं और वर्तमान में ये परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े कार्य पर सलाह देते हैं। ये स्टेट अफेयर्स कमीशन के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और कोरिया पोलिटिकल ब्यूरो की वर्कर्स पार्टी के सदस्य हैं।

ख. उर्फ: पाक दु छुन

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 9 मार्च, 1944; राष्ट्रीयता: डीपीआरके;

12. री जा इल

क. विवरण: वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया प्रोपेगण्डा और एजिटेशन विभाग के उप निदेशक, जो पूरे डीपीआरके की मीडिया को नियंत्रित करता है और इस इस्तेमाल सरकार जनता को नियंत्रित करने के लिए करती है।

ख. उर्फ: री, छाए-॥

ग. पहचानकर्ता: जन्मवर्ष: 1934; राष्ट्रीयता: डीपीआरके

13. री योंग

क. विवरण: कोरिया रयोनबोंग जनरल कापोरेशन के कार्मिक, डीपीआरके की रक्षा इंडस्ट्री के लिए अधिग्रहण और प्योंगयांग की सेना से जुड़ी खरीद में सहयोग करने में विशेषज्ञता। इनकी खरीद से डीपीआरके के रासायनिक हथियार कार्यक्रम को संभवतः सहयोग मिलता है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 25 जून, 1968; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट सं. 654310175; लिंग: पुरुष; पता: क्यूबा

14. री योंग मू

क. विवरण: री योंग मू स्टेट अफेयर्स कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, जो डीपीआरके की अधिग्रहण एवं खरीद सहित सभी सैन्य, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कार्य में मार्गदर्शन करता है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्मतिथि: 25 जनवरी, 1925; राष्ट्रीयता: डीपीआरके;

अनुबंध-II**परिसंपत्ति जब्ती (संस्थाएं)****1. कांगबोंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन**

क. विवरण: कांगबोंग ट्रेडिंग कंपनी ने डीपीआरके से अथवा के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोध रूप से धातु, ग्रेफाईट, कोयला अथवा सॉफ्टवेयर बेचा, आपूर्ति की, हस्तांतरित किया अथवा खरीदा है, जिससे प्राप्त राजस्व अथवा वस्तुएं डीपीआरके की सरकार अथवा वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को लाभ हो सकता है। कांगबोंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन की जन्मदात्री मिनिस्ट्री ऑफ पीपल्स आर्मर्ड फोर्सेस है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. स्थान: डीपीआरके

2. कोरिया कुमसान ट्रेडिंग कार्पोरेशन

क. विवरण: कोरिया कुमसान ट्रेडिंग कार्पोरेशन का स्वामित्व अथवा नियंत्रण, अथवा उसकी ओर से कार्य अथवा कार्य करने का तात्पर्य, प्रत्यक्ष अथवा परोध रूप से जनरल ब्यूरो ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा किया जाता है, जो डीपीआरके परमाणु कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. स्थान: प्योंगयांग डीपीआरके

3. कोरयो बैंक

क. विवरण: कोरया बैंक डीपीआरके की अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाओं का प्रचालन करता है और यह के डब्ल्यूपी के ऑफिस 38 एवं ऑफिस 39 के साथ जुड़ा हुआ है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. स्थान: प्योंगयांग डीपीआरके

4. कोरियन पीपल्स आर्मी की सामरिक रॉकेट फोर्स

क. विवरण: कोरियन पीपल्स आर्मी की सामरिक रॉकेट फोर्स डीपीआरके के सभी बालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का प्रभारी है और एससीयूडी एवं एनओडीओएनजी प्रक्षेपणों के लिए यही उत्तरदायी है।

ख. उर्फ: स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स; केपीए का स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स कमांड; स्ट्रेटेजिक फोर्स; स्ट्रेटेजिक फोर्सेसग. ग. स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके”

"अनुसूची- VIII

संयुक्त राष्ट्र

एस/संकल्प/2371 (2017)

सुरक्षा परिषद

वितरण: सभी सदस्य

5 अगस्त, 2017

संकल्प 2371 (2017)

सुरक्षा परिषद द्वारा 5 अगस्त 2017 को अपनी 8019वीं बैठक में अंगीकार

सुरक्षा परिषद,

अपने पिछले संकल्पों अर्थात् संकल्प 825 (1993), संकल्प 1540 (2004), संकल्प 1695 (2006), संकल्प 1718 (2006), संकल्प 1874 (2009), संकल्प 1887 (2009), संकल्प 2087 (2013), संकल्प 2094 (2013), संकल्प 2270 (2016), संकल्प 2321 (2016), और संकल्प 2356 (2017) तथा अपने अध्यक्ष के 6 अक्टूबर 2006 (एस/पीआरएसटी/ 2006/41), 13 अप्रैल 2009 (एस/पीआरएसटी/ 2009/7) और 16 अप्रैल 2012 (एस/पीआरएसटी/ 2012/13) के वक्तव्यों का स्मरण करते हुए,

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार तथा उनके प्रक्षेपण के साधन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं,

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य ("कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य") द्वारा 3 जुलाई और 28 जुलाई 2017 को संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) और 2356 (2017) का उल्लंघन करके किए गए बैलिस्टिक मिसाइल परिक्षणों, जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के अनुसार अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण थे, और ऐसे परीक्षणों से परमाणु अप्रसार संधि ("दि एनटीपी") तथा परमाणु हथियारों के अप्रसार की वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समक्ष आने वाली चुनौती और इस क्षेत्र में तथा इसके बाहर शांति और स्थिरता के लिए इनके द्वारा उत्पन्न खतरे पर *गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए*,

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य सुरक्षा और मानवीय सरोकारों पर प्रतिक्रिया के महत्व को पुनः रेखांकित करते हुए,

इस बात को भी रेखांकित करते हुए कि इस संकल्प द्वारा किए गए उपायों का अभिप्राय यह नहीं है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सिविलियन आबादी पर किसी तरह का प्रतिकूल असर पड़े,

इस बात पर *गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य बार-बार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण करके और प्रक्षेपणों का प्रयास करके सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों का उल्लंघन करता आ रहा है तथा इस तथ्य को नोट करके कि इस प्रकार के सभी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा परमाणु शस्त्र प्रक्षेपण प्रणालियों के विकास में योगदान देते हैं और इस क्षेत्र तथा इसके बाहर तनाव बढ़ाते हैं,

इस बात पर *निरंतर चिंता व्यक्त करते हुए* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य राजनयिक एवं कौंसुली संबंधों पर वियना अभिसमयों द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है,

इस बात पर *गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा प्रतिबंधित शस्त्रों की बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल परमाणु शस्त्र और बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने के लिए किया जाता है जबकि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता,

इस बात पर *गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के मौजूदा परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र तथा इससे बाहर तनाव को और बढ़ाया है और *इस बात को मानते हुए* कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्पष्ट तौर पर खतरा बना हुआ है,

संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अध्याय VII के अंतर्गत कार्य करते हुए और इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत *उपाय करते हुए*,

1. कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा 3 जुलाई और 28 जुलाई 2017 को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है, जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के अनुसार अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण थे और जिसमें सुरक्षा परिषद के संकल्पों का उल्लंघन और घोर निरादर करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया था;

2. अपने निर्णयों की पुनः पुष्टि करती है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आगे और कोई प्रक्षेपण, परमाणु परीक्षण अथवा अन्य कोई भी उकसाने वाला काम नहीं करेगा; अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यकलापों को स्थगित रखेगा और इस संदर्भ में मिसाइल प्रक्षेपणों के स्थगन संबंधी अपनी पहले की प्रतिबद्धताओं को पुनः स्वीकार करेगा; सभी परमाणु शस्त्रों और मौजूदा परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से, प्रमाणित तरीके से और स्थाई तरीके से छोड़ देगा और सभी सम्बद्ध कार्यकलापों को तुरंत बंद करेगा; और व्यापक विनाश के अन्य मौजूदा हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह से, प्रमाणित तरीके से और स्थाई तरीके से छोड़ देगा;

निर्देश

3. निर्णय करती है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) में उल्लिखित उपाय इस संकल्प के अनुबंध I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संगठनों तथा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशानुसार काम करने वाले किसी भी व्यक्तियों अथवा संगठनों और अवैध साधनों के जरिए सहित उनके स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रण वाले संगठनों पर भी लागू होंगे और यह भी निर्णय लेती है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (ङ) में उल्लिखित उपाय इस संकल्प के अनुबंध I में सूचीबद्ध व्यक्तियों और उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशानुसार काम करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे;

4. अतिरिक्त सामग्रियों को स्पष्ट करके संकल्प 1718 (2006) के पैरा-8 और इस संकल्प द्वारा किए गए उपायों को समंजित करने का निर्णय लेती है, समिति को इस आशय का काम शुरू करने और इस संकल्प को स्वीकार किए जाने के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का निदेश देती है और यह भी निर्णय लेती है कि यदि समिति ने कार्य नहीं किया तो सुरक्षा परिषद उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर उपायों को समंजित करने के लिए कार्रवाई पूरी करेगी;

5. अतिरिक्त परंपरागत शस्त्र संबंधी मदों, सामग्रियों, उपस्करों, सामानों और प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करके संकल्प 2321 (2016) के पैरा 7 द्वारा किए गए उपायों को समंजित करने का निर्णय लेती है, समिति को इस आशय का कार्य शुरू करने और इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने के 30 दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का निदेश देती है, और यह भी निर्णय लेती है कि यदि समिति ने कार्य नहीं किया तो सुरक्षा परिषद उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर उपायों को समंजित करने के लिए कार्रवाई पूरी करेगी, और समिति को निदेश देती है कि को प्रत्येक 12 महीनों में इस सूची अद्यतन करे।

परिवहन

6. निर्णय करती है कि समिति उन जलयानों को नामोदिष्ट कर सकती है जिनके बारे में उसके पास सूचना है कि वे जलयान संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) अथवा इस संकल्प के द्वारा निषिद्ध किए गए कार्यकलापों से संबंधित हैं अथवा संबंधित रहे हैं और सभी सदस्य राष्ट्र इस प्रकार नामोदिष्ट किए गए जलयानों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोकेंगे, बशर्ते उनका प्रवेश आपातस्थिति में अथवा अपने मूल बंदरगाह पर लौटने का मामला नहीं हो अथवा यदि समिति अग्रिम तौर पर यह निर्धारित नहीं कर लेती कि ऐसा प्रवेश लोकोपकारी प्रयोजन अथवा संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के संगत किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है;

7. स्पष्ट करती है कि संकल्प 2270 (2016) के पैरा 20 और संकल्प 2321 (2016) के पैरा 9 में उल्लिखित उपाय कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा चलाए गए भाड़े के जलयानों पर लागू होते हैं, जिनमें राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले नागरिकों, व्यक्तियों तथा उनके भू-क्षेत्र में निगमित अथवा उनके क्षेत्राधिकार के अध्यधीन आने वाले संगठनों को बिना अपवाद कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा चलाए गए किसी भी जलयान को खरीदने, पट्टे पर लेने, उसका प्रचालन करने से रोकेंगे, जबतक कि समिति अग्रिम तौर पर मामला दर मामला आधार पर इसे अनुमोदित नहीं कर देती;

सेक्टरल

8. निर्णय लेती है कि संकल्प 2321 (2016) का पैरा 26 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

निर्णय लेती है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अपने भू-क्षेत्र से अथवा अपने नागरिकों द्वारा अथवा अपने झण्डे वाले जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके कोयला, लौह और लौह अयस्क की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानानंतरण नहीं करेगा, और यह कि सभी राष्ट्र अपने नागरिकों द्वारा, अथवा उनके झण्डे वाले जलयानों अथवा वायुयानों, चाहे वे मूल रूप से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भू-क्षेत्र से चलना शुरू हुए हों अथवा नहीं, का इस्तेमाल करके कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से ऐसी सामग्रियों के प्रापण का निषेध करेंगे, यह निर्णय लेती है कि लौह तथा लौह अयस्क के लिए बिक्री तथा सौदों के जिन मामलों में इस संकल्प को स्वीकार करने से पहले लिखित संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है उनमें सभी राष्ट्र इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने की तारीख से 30 दिन तक समिति को अधिसूचना देकर अपने भू-क्षेत्रों में आयात करने के लिए उन नौ-परिवहनों की अनुमति दे सकते हैं। अधिसूचना में इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने की तारीख के उपरांत 45 दिन तक उन आयातों के संबंध में ब्यौरे देने होंगे, तथा यह भी निर्णय लेती है कि यह प्रावधान उस कोयले के संबंध में लागू नहीं होगा जिसके बारे में निर्यातकर्ता देश विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुष्टि करे कि उसका उद्गम कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बाहर है और केवल निर्यात के प्रयोजन से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के रजिन (रासोन) बंदरगाह से ले जाया जा रहा है, बशर्ते कि निर्यातकर्ता देश अग्रिम तौर पर समिति को अधिसूचित करे कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से बाहर से प्राप्त कोयले के ऐसे सौदे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए धनार्जन से संबंधित नहीं हैं;

9. निर्णय लेती है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अपने भू-क्षेत्र से अथवा अपने नागरिकों द्वारा अथवा अपने झण्डे युक्त जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके समुद्री भोज्य पदार्थों (मछली, क्रस्टेसियन, मोलस्क, और सभी रूपों में अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों) की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानानंतरण नहीं करेगा, और यह कि सभी राष्ट्र अपने नागरिकों द्वारा, अथवा उनके झण्डे वाले जलयानों अथवा वायुयानों, चाहे वे मूल रूप से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भू-क्षेत्र से चलना शुरू हुए हों अथवा नहीं, का इस्तेमाल करके, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से ऐसी सामग्रियों के प्रापण का निषेध करेंगे, यह भी निर्णय लेती है कि समुद्री भोज्य पदार्थों (मछली, क्रस्टेसियन, मोलस्क, और सभी रूपों में अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों) की बिक्री तथा सौदों के जिन मामलों में इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने से पहले लिखित संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें सभी राष्ट्र इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने की तारीख से 30 दिन तक समिति को अधिसूचना देकर अपने भू-क्षेत्रों में आयात करने के लिए उन नौ-परिवहनों की अनुमति दे सकते हैं। अधिसूचना में इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने की तारीख के उपरांत 45 दिन तक उन आयातों के संबंध में ब्यौरे देने होंगे;

10. निर्णय लेती है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अपने भू-क्षेत्र से अथवा अपने नागरिकों द्वारा अथवा अपने झण्डे वाले जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके सीसा और सीसा अयस्क की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानानंतरण नहीं करेगा, और यह कि सभी राष्ट्र अपने नागरिकों द्वारा, अथवा उनके झण्डे वाले जलयानों अथवा वायुयानों, चाहे वे मूल रूप से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भू-क्षेत्र से चलना शुरू हुए हों अथवा नहीं, का इस्तेमाल करके, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से ऐसी सामग्रियों के प्रापण का निषेध करेगा, यह भी निर्णय लेती है कि सीसा और सीसा अयस्क की बिक्री तथा सौदों के जिन मामलों में के लिए इस संकल्प को अंगीकृत करने से पहले लिखित संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें सभी राष्ट्र इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने की तारीख से

30 दिन तक समिति को अधिसूचना अपने भू-क्षेत्रों में आयात करने के लिए देकर उन नौ-परिवहनों की अनुमति दे सकते हैं। अधिसूचना में इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख के उपरांत 45 दिन तक उन आयातों के संबंध में ब्यौरे देने होंगे;

11. *चिंता व्यक्त करती है* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के नागरिक अक्सर विदेशी निर्यात से आगम के प्रयोजन से अन्य देशों में कार्य करते हैं और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य इस्तेमाल अपने निषिद्ध परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में सहयोग के लिए इस धन का करता है, यह निर्णय लेती है कि सभी सदस्य राष्ट्र इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने की तारीख के उपरांत इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने के समय कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के नागरिकों के लिए उनके क्षेत्राधिकार में मुहैया कराए गए कार्य प्राधिकार की कुल संख्या में कभी भी कोई वृद्धि तब तक नहीं करेंगे जब तक कि समिति मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम तौर पर यह अनुमोदन नहीं कर देती कि इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने के समय किसी सदस्य राष्ट्र में दिए गए कार्य प्राधिकार की संख्या को आगे बढ़ाना लोकोपकारी सहायता देने, परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने अथवा संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) अथवा इस संकल्प के प्रयोजनों के संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

वित्तीय

12. *निर्णय लेती है* कि सभी राष्ट्र अपने नागरिकों द्वारा, अथवा अपने भूक्षेत्र में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ नए संयुक्त उद्यम अथवा सहकारी संस्था खोलने का अथवा अतिरिक्त निवेश के माध्यम से मौजूदा संयुक्त उद्यमों का विस्तार करने, चाहे वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सरकार के लिए अथवा उसकी ओर से काम कर रहे हों अथवा नहीं, का निषेध करेंगे जब तक कि इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों अथवा सहकारी संस्थान को समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम अनुमोदन न दे दिया गया हो;

13. *स्पष्ट करती है* कि संकल्प 2094 (2013) के पैरा 11 में समाविष्ट निषेध सभी सदस्य राष्ट्रों के भूक्षेत्रों के जरिए धन की निकासी पर लागू होते हैं;

14. *स्पष्ट करती है* कि बैंको द्वारा दी जा रही सेवाओं के अनुरूप वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों को संकल्प 2094 (2013) के पैरा 11, संकल्प 2270 (2016) के पैरा 33 और 34 और संकल्प 2321 (2016) के पैरा 33 के कार्यन्वयन के प्रयोजनार्थ वित्तीय संस्थाएं माना जाता है;

रासायनिक हथियार

15. संकल्प 2270 (2016) के पैरा 24 का *स्मरण करती है*, और यह *निर्णय लेती है* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य रासायनिक शस्त्रों की तैनाती अथवा उनका इस्तेमाल नहीं करेगा और तत्काल कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से तात्कालिक रूप से आह्वान करती है कि वह रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, संचय और उपयोग के निषेध तथा उनके विनाश से संबंधित अभिसमय स्वीकार करे और उसके प्रावधानों का तत्काल अनुपालन करे;

वियना अभिसमय

16. *मांग करती है* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय और कॉसुली संबंधों पर वियना अभिसमय के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूरी तरह से अनुपालन करे;

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की जनता पर प्रभाव

17. कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा अपने अत्यल्प संसाधनों को बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों और बहुत-से मंहगे बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का विकास करने के लिए झोंकने पर *खेद व्यक्त करती है*, संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वयन कार्यालय के निष्कर्षों में *पाती है* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की आधी से अधिक आबादी खाद्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव झेल रही है जिनमें बड़ी संख्या में गर्भवती और शिशुओं को स्तनपान कराने

वाली महिलाएं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं जिन पर कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है तथा उसकी लगभग एक चौथाई आबादी लंबे समय से कुपोषण का शिकार है और इस संदर्भ में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की जनता की विकट परेशानियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है;

प्रतिबंधों का कार्यान्वयन

18. निर्णय लेती है कि सभी सदस्य राष्ट्र इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने के 90 दिन के भीतर और उसके उपरांत समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर इस संकल्प के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अपनी ओर से किए गए ठोस उपायों के संबंध में सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट देंगे, संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रतिबंध मॉनीटरिंग समूहों के सहयोग से काम करने वाले विशेषज्ञों के पैनल से अनुरोध करती है कि वे समयबद्ध तरीके से ऐसी रिपोर्टें तैयार करने और प्रस्तुत करने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने के अपने प्रयास जारी रखें;

19. संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), और 2356 (2017) के उपायों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों से अपने प्रयासों को बढ़ाने और ऐसा करने में एक-दूसरे का सहयोग करने और खासकर उन मदों का निरीक्षण करने उनका पता लगाने और उन्हें जब्त करने का *आह्वान* करती है जिनका स्थानांतरण इन प्रावधानों द्वारा निषिद्ध किया गया है;

20. निर्णय लेती है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 12 में यथोल्लिखित समिति का अधिदेश इस संकल्प में किए गए उपायों के संबंध में लागू होगा और *यह भी निर्णय लेती है* कि संकल्प 1874 (2009) के पैरा 26 में उल्लिखित और संकल्प 2345 (2017) के पैरा 1 के संशोधन के अनुसार विशेषज्ञों के पैनल का अधिदेश इस संकल्प में किए गए उपायों के संबंध में भी लागू होगा;

21. सभी सदस्य राष्ट्रों को निरीक्षणों में पायी जाने वाली उन मदों को जब्त करने और उनका निपटान (जैसे नष्ट करके, निष्क्रिय करके या अनुपयोगी बनाकर, भंडारण करके, उनको निपटान के लिए उत्पादनकर्ता या गंतव्य देश को छोड़कर किसी अन्य देश में हस्तांतरण करके) करने के लिए प्राधिकृत करने, और सभी सदस्य राष्ट्र ऐसा ही करेंगे, का निर्णय लेती है जिनकी आपूर्ति, बिक्री हस्तांतरण तथा निर्यात को संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), और 2356 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध किया गया है, और यह कार्य इस प्रकार किया जाएगा जो संकल्प 1540 (2004) सहित सुरक्षा परिषद के अनुप्रयोज्य संकल्पों के अंतर्गत उनके दायित्वों तथा परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों के रूप में दायित्वों, रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, जीवाणु- जैविक तथा जैविक वैज्ञानिक (जीव वैज्ञानिक) और संचयन तथा इस्तेमाल व उनके विकास पर निषेध संबंधी 29 अप्रैल, 1997 के अभिसमय, और जहरीले हथियारों के विकास, उत्पादन और संचयन पर निषेध तथा उनके विनाश संबंधी 10 अप्रैल, 1972 के अभिसमय के संगत हों;

22. समिति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य सहित सभी राष्ट्रों के महत्व पर बल देती है कि किसी संविदा अथवा अन्य सौदों, जहां इसके निष्पादन को इस संकल्प अथवा पिछले संकल्पों द्वारा किए गए उपायों के कारण रोका गया था, के संबंध में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अथवा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के किसी व्यक्ति अथवा संगठन के अथवा संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), और 2356 (2017) अथवा इस संकल्प में बताए गए उपायों के लिए नामित व्यक्तियों अथवा संगठनों अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा संगठन के जरिए अथवा उसके लाभ के लिए दावा करने वाले किसी व्यक्ति के आग्रह पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा;

23. *अनुरोध करती है* कि इंटरपोल नामित व्यक्तियों के संबंध में विशेष नोटिस जारी करे और समिति को *निर्देश देती है* कि ऐसा करने के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए इंटरपोल के साथ मिलकर काम करे;

24. महासचिव से अनुरोध करती है कि वह संकल्प 1874 (2009) के अनुसरण में स्थापित विशेषज्ञों के पैनल को यथापेक्षित अतिरिक्त विश्लेषणात्मक संसाधन मुहैया कराये ताकि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के प्रतिबंध उल्लंघन और परिहार कार्यक्रमों का विश्लेषण करने की उसकी क्षमता सुदृढ़ हो सके;

राजनीतिक

25. डीपीआरके के लोगों के समक्ष उत्पन्न गहन कठिनाइयों के बारे में अपनी गहरी चिंता को *दोहराती* है, जब डीपीआरके में लोग अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के स्थान पर परमाणु हथियारों और बैलेस्टिक मिसाइलों से संबंधित डीपीआरके के कार्य की *भर्त्सना करती है* और डीपीआरके को वहाँ के लोगों का कल्याण और उनकी गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर *बल देती है*;

26. *पुनः पुष्टि करती है* कि संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), और इस संकल्प के द्वारा लागू किए गए उपाय डीपीआरके के नागरिकों पर प्रतिकूल मानवतावादी परिणाम डालने या उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने या आर्थिक गतिविधियों और सहयोग, खाद्य सहायता और मानवतावादी सहायता सहित उन क्रियाकलापों को रोकने के लिए नहीं है जो संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं और यह संकल्प डीपीआरके नागरिकों के लाभ के लिए डीपीआरके में सहायता और राहत क्रिया-कलाप कर रहे अंतरराष्ट्रीय और गैर-सरकारी संगठनों के कार्य को रोकने के लिए नहीं है और यह *निर्णय किया गया है* कि समिति, मामल-दर-मामला आधार पर इन संकल्पों द्वारा लागू किए गए उपायों से किन्हीं क्रियाकलापों को छूट प्रदान कर सकती है बशर्ते समिति अभिनिर्धारित करे कि ऐसी छूट डीपीआरके में ऐसे संगठनों को कार्य की सुविधा प्रदान करने के लिए या इन संकल्पों के उद्देश्यों के संगत किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है और यह भी अभिनिर्धारित करे कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (घ) में विनिर्दिष्ट उपाय डीपीआरके विदेश व्यापार बैंक या कोरियाई राष्ट्रीय बीमा निगम के साथ वित्तीय संव्यवहार के बारे में लागू नहीं होंगे बशर्ते ऐसे संव्यवहार केवल डीपीआरके में राजनयिक या कौंसुली मिशनों के संचालन के लिए हों या संयुक्त राष्ट्र के समन्वय से प्रारंभ किए गए मानवतावादी सहायता क्रियाकलापों से संबंधित हों;

27. छः पक्षीय वार्ताओं के लिए अपने समर्थन की *पुनः पुष्टि करती है*, उन्हें पुनः प्रारंभ करने का *आह्वान करती है* और चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी फेडरेशन और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 19 सितंबर, 2005 को संयुक्त रूप से जारी वक्तव्य में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं के प्रति अपने समर्थन को *दोहराती है*, छः पक्षीय वार्ता का उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीप को शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु हथियारों से संप्रमाण मुक्त बनाने के लक्ष्य सहित, और यह कि संयुक्त राज्य अमरीका और डीपीआरके एक-दूसरे की संप्रभुता का आदर करने और शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहने का वचन दिया था, और छः ने आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और अन्य सभी संगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का वचन दिया था;

28. कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक रूप से उत्तर पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को *दोहराती है* और स्थिति के शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक हल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और परिषद सदस्यों के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों द्वारा वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण व व्यापक समाधान में सहयोग करने के प्रयासों का *स्वागत* करती है और कोरियाई प्रायद्वीप तथा उससे बाहर तनाव कम करने की दिशा में कार्य करने को महत्व देती है;

29. यह *पुष्टि करती है* कि वह डीपीआरके की कार्रवाइयों की लगातार समीक्षा करती रहेगी और डीपीआरके के अनुपालन के आलोक में उपायों को सुदृढ़ करने, सुधारने, स्थगित करने या हटाने के लिए तैयार है और इस बारे में *दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है* कि डीपीआरके के पुनः परमाणु परीक्षण करने या इसकी शुरुआत की स्थिति में पुनः अहम उपाय करेगी;

30. मामले पर सक्रियता से विचार करने का *निर्णय करती है*

अनुबंध I

यात्रा/संपत्तियों पर रोक (व्यक्तियों)

1. चो चुन योंग
 - क. ब्यौरा: इल्लिसम इंटरनेशनल बैंक का प्रतिनिधि, यह बैंक डीपीआरके मिलिट्री के साथ संबद्ध है और कोरिया क्वांसन बैंकिंग कारपोरेशन के साथ गहरा संबंध है। इल्लिसम इंटरनेशनल बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की है।
 - ख. उर्फ: चो चुन योंग'
 - ग. पहचान: राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट संख्या: 654410078; लिंग: पुरुष
2. हान जांग सू
 - क. ब्यौरा: फॉरेन ट्रेड बैंक का मुख्य प्रतिनिधि
 - ख. उर्फ: चांग-सू-हान
 - ग. पहचान: जन्म तिथि: 08 नवंबर, 1969; जन्म स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट संख्या: 745420176, 19 अक्तूबर को समाप्त, 2020; लिंग: पुरुष
3. जांग सोंग चोल
 - क. ब्यौरा: जांग सोंग चोल विदेशों में कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन का प्रतिनिधि है।
 - ख. उर्फ: उपलब्ध नहीं
 - ग. पहचान: जन्म तिथि: 12 मार्च, 1967; राष्ट्रीयता: डीपीआरके
4. जांग सुंग नाम
 - क. ब्यौरा: विदेश स्थित टांगुन ट्रेडिंग कारपोरेशन शाखा प्रमुख, जो मुख्यतः डीपीआरके के रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की सहायता हेतु उपभोज्य वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के प्रापण हेतु उत्तरदायी है।
 - ख. उर्फ: उपलब्ध नहीं
 - ग. पहचान: जन्म तिथि: 14 जुलाई, 1970; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट संख्या: 563120368, 22 मार्च, 2013 को जारी; पासपोर्ट समाप्त होने की तिथि: 22 मार्च, 2018; लिंग: पुरुष
5. जो चोल सोंग
 - क. ब्यौरा: कोरिया क्वांसन बैंकिंग कारपोरेशन का उप प्रतिनिधि, जो टैचन कॉमर्शियल बैंक तथा कोरिया हॉक्सिन ट्रेडिंग की सहायतार्थ वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जोकि कोरिया रियांगबांग जनरल कॉरपोरेशन की एक अधीनस्थ संस्था है।
 - ख. उर्फ: चो चोल सोंग
 - ग. पहचान: जन्म तिथि: 25 सितंबर, 1984; राष्ट्रीयता: डीपीआरके; पासपोर्ट संख्या: 654320502, समाप्त होने की तिथि: 16 सितंबर, 2019; लिंग: पुरुष
6. कांग चोल सू

क. ब्योरा: कोरिया रियांगबांग जनरल कॉरपोरेशन का पदाधिकारी, जिसके पास डीपीआरके रक्षा उद्योगों के लिए अभिग्रहण में विशेषज्ञता प्राप्त है और जो डीपीआरके की सैन्य संबंधी उपकरणों की विदेशों में की जाने वाली बिक्री में सहायता करता है। इसके द्वारा की जाने वाली खरीद संभवतः डीपीआरके के रासायनिक हथियार कार्यक्रम में भी सहायता करती है।

ख. उर्फ: उपलब्ध नहीं

ग. पहचानचिन्ह: जन्मतिथि: 13 फरवरी, 1969; राष्ट्रियता: कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य; पासपोर्ट संख्या: 472234895

7. किम मुन चोल

क. ब्योरा: कोरिया यूनाइटेड डेबलपमेंट बैंक का प्रतिनिधि।

ख. उर्फ: किम मुन चोल

ग. पहचानचिन्ह: जन्मतिथि: 25 मार्च, 1957; राष्ट्रियता: कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य

8. किम नैम उंग

क. ब्योरा: कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य सेना से संबद्ध और कोरिया क्वांगसन बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ नजदीकी संबंध रखने वाले इलिसम इंटरनेशनल बैंक का प्रतिनिधि है। इलिसम इंटरनेशनल बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचने का प्रयास किया है।

ख. उर्फ: उपलब्ध नहीं

ग. पहचानचिन्ह: राष्ट्रियता: कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य; पासपोर्ट संख्या: 654110043

9. पाक इल ग्यू

क. ब्योरा: कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के रक्षा उद्योगों के लिए अधिप्राप्तियों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले और प्योंगयाग की सेना से जुड़ी बिक्रियों में सहयोग करने वाले कोरिया रयॉनवांग जनरल कॉरपोरेशन का पदाधिकारी है। इसके प्रापण से भी कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के रासायनिक हथियार कार्यक्रम में सहायता मिल सकती है।

ख. उर्फ: पाक इल-ग्यू

ग. पहचानचिन्ह: राष्ट्रियता: कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य; पासपोर्ट संख्या: 563120235; लिंग: पुरुष

अन्य नामों (उर्फ) की सूची का अद्यतन:

- जैंग बॉम सू (केपीआई 016) – नया नाम (उर्फ): जैंग ह्यून यू, जन्मतिथि 22 फरवरी, 1958 और राजनयिक पासपोर्ट संख्या 836110034 जो 1 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है।
- जॉन म्यांग गुक (केपीआई 018) – नया नाम (उर्फ): जॉन योंग सांग, जन्मतिथि 25 अगस्त, 1976 और राजनयिक पासपोर्ट संख्या 836110035 जो 1 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है।

अनुबंध-II**परिसंपत्ति कीलन (संस्थाएं)****1. विदेश व्यापार बैंक (एफटीबी)**

क. विवरण: विदेश व्यापार बैंक राष्ट्र के स्वामित्वाधीन बैंक होता है और डीपीआरके के प्राथमिक विनिमय बैंक के तौर पर कार्य करता है और इसने कोरिया क्रांगसन बैंकिंग कॉरपोरेशन को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ख. एकेए: एन/ए

ग. स्थान: एफटीबी भवन, जंगसांग-डांग, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, प्योंगयांग, डीपीआरके।

2. कोरियाई राष्ट्रीय बीमा कंपनी (केएनआईसी)

क. विवरण: कोरियाई राष्ट्रीय बीमा कंपनी डीपीआरके की वित्तीय और बीमा कंपनी है एवं ऑफिस 39 से संबद्ध है।

ख. एकेए: कोरिया विदेशी बीमा कंपनी

ग. स्थान: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, प्योंगयांग, डीपीआरके

3. कोरयो क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक

क. विवरण: कोरयो क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक डीपीआरके की अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाएं उद्योग का प्रचालन करता है।

ख. एकेए: डेसांग क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक: कोरयो ग्लोबल क्रेडिट बैंक, कोरयो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक

ग. स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके

4. मैनस्यूडे ओवरसीज प्रोजेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज

क. विवरण: ओवरसीज प्रोजेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज डीपीआरके की सरकार अथवा कोरिया की वर्कर्स पार्टी के लिए राजस्व के लिए मूर्तियों और स्मारकों सहित निर्माण से जुड़े कार्यकलापों हेतु डीपीआरके से दूसरे देशों को श्रमिकों को भेजने के कार्य में लगी हैं, इसकी सुविधा प्रदान करती हैं। मैनस्यूडे ओवरसीज प्रोजेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज को अल्जीरिया, बोत्सवाना, बेनिन, कंबोडिया, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, मलेशिया, मोजांबिक, मेडागास्कर, नामीबिया, सीरिया, टोगो तथा जिंबाब्वे सहित अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में कार्य संचालन करने के लिये कहा गया है।

ख. एकेए: मैनस्यूडे आर्ट स्टूडियो

ग. स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके”

“अनुसूची- IX

संयुक्त राष्ट्र

एस/संकल्प/2375 (2017)

सुरक्षा परिषद

वितरण: सभी सदस्य

11 सितंबर, 2017

संकल्प 2375 (2017)

सुरक्षा परिषद द्वारा 11 सितंबर 2017 को अपनी 8042वीं बैठक में अंगीकार

सुरक्षा परिषद,

संकल्प 825 (1993), संकल्प 1540 (2004), संकल्प 1695 (2006), संकल्प 1718 (2006), संकल्प 1874 (2009), संकल्प 1887 (2009), संकल्प 2087 (2013), संकल्प 2094 (2013), संकल्प 2270 (2016), संकल्प 2321 (2016), और संकल्प 2356 (2017), संकल्प 2371 (2017) सहित अपने पिछले संगत संकल्पों तथा अपने अध्यक्ष के 6 अक्टूबर 2006 (एस/पीआरएसटी/ 2006/41), 13 अप्रैल 2009 (एस/पीआरएसटी/ 2009/7) और 16 अप्रैल 2012 (एस/पीआरएसटी/ 2012/13) और 29 अगस्त 2017 (एस/पीआरएसटी/ 2017/16) के वक्तव्यों का स्मरण करते हुए,

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार तथा उनके प्रक्षेपण के साधनों का प्रसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं,

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (“कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य”) द्वारा संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) और 2356 (2017) और 2371 (2017) का उल्लंघन करके किए गए परमाणु परीक्षण और ऐसे परीक्षण से परमाणु अप्रसार संधि (“दि एनटीपी”) तथा परमाणु हथियारों के अप्रसार की वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समक्ष आने वाली चुनौती और इस क्षेत्र में तथा इसके बाहर शांति और स्थिरता के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे पर गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए,

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य सुरक्षा और मानवीय सरोकारों पर प्रतिक्रिया के महत्व को पुनः रेखांकित करते हुए और इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अपने नागरिकों की जरूरतों की घोर अनदेखी करते हुए बेहद जरूरी संसाधनों को परमाणु शस्त्रों और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में लगाता जा रहा है,

इस बात पर गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के मौजूदा परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी कार्यकलापों ने इस क्षेत्र तथा इससे बाहर के क्षेत्रों में अस्थिरता उत्पन्न कर दी है और इस बात को मानते हुए कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्पष्ट तौर पर खतरा मंडरा रहा है,

अपनी चिंता को रेखांकित करते हुए कि कोरियाई प्रायद्वीप में होने वाली हलचलों के खतरनाक, और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं,

घोषणा-पत्र के अनुसार सभी राष्ट्रों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनैतिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों का स्मरण करते हुए,

इस हालात के शांतिपूर्ण और राजनयिक समाधान के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए, और समिति के सदस्यों तथा साथ ही अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा बात-चीत के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान सुकर बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए,

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और समूचे उत्तर पूर्वी एशिया में स्थाई स्थिरता सुनिश्चित करने तथा इस स्थिति का शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनैतिक उपायों के माध्यम से समाधान करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए,

संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अध्याय VII के अंतर्गत कार्य करते हुए और इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए,

1. कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा सुरक्षा परिषद के संकल्पों का उल्लंघन और घोर निरादर करते हुए 2 सितंबर, 2017 को किए गए परमाणु परीक्षण की कड़े से कड़े शब्दों में *भर्त्सना करती है*;

2. अपने निर्णयों की पुनः पुष्टि करती है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आगे और कोई प्रक्षेपण, परमाणु परीक्षण अथवा अन्य कोई भी उकसाने वाला काम नहीं करेगा; अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यकलापों को तत्काल स्थगित रखेगा और इस संदर्भ में सभी मिसाइल प्रक्षेपणों के स्थगन संबंधी अपनी पहले की प्रतिबद्धताओं को पुनः स्वीकार करेगा; सभी परमाणु शस्त्रों और मौजूदा परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से, प्रमाणित तरीके से और स्थाई तरीके से तत्काल छोड़ देगा और सभी सम्बद्ध कार्यकलापों को तुरंत बंद करेगा; और व्यापक विनाश के अन्य मौजूदा हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह से, प्रमाणित तरीके से और स्थाई तरीके से छोड़ देगा;

निर्देश

3. निर्णय करती है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) में उल्लिखित उपाय इस संकल्प के अनुबंध I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संगठनों तथा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशानुसार काम करने वाले किसी भी व्यक्तियों अथवा संगठनों और अवैध साधनों के जरिए सहित उनके स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रण वाले संगठनों पर भी लागू होंगे और यह भी निर्णय लेती है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (ङ) में उल्लिखित उपाय इस संकल्प के अनुबंध I में सूचीबद्ध व्यक्तियों और उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशानुसार काम करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे;

4. अतिरिक्त व्यापक विनाश के हथियारों संबंधी दोहरे इस्तेमाल की मदों, सामग्रियों, उपस्करों, सामानों और प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करके संकल्प 1718 (2006) के पैरा-8 और इस संकल्प द्वारा किए गए उपायों को समंजित करने का निर्णय लेती है, समिति को इस आशय का काम शुरू करने और इस संकल्प को स्वीकार किए जाने के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का निदेश देती है और यह भी निर्णय लेती है कि यदि समिति ने कार्य नहीं किया तो सुरक्षा परिषद उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर उपायों को समंजित करने के लिए कार्रवाई पूरी करेगी; और समिति को निदेश देती है कि प्रत्येक 12 महीनों में नियमति रूप से इस सूची को अद्यतन करे;

5. अतिरिक्त परंपरागत शस्त्र संबंधी मदों, सामग्रियों, उपस्करों, सामानों और प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करके संकल्प 2321 (2016) के पैरा 7 द्वारा किए गए उपायों को समंजित करने का निर्णय लेती है, समिति को इस आशय का कार्य शुरू करने और इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने के 30 दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का निदेश देती है, और यह भी निर्णय लेती है कि यदि समिति ने कार्य नहीं किया तो सुरक्षा परिषद उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर उपायों को समंजित करने के लिए कार्रवाई पूरी करेगी, और समिति को निदेश देती है कि को प्रत्येक 12 महीनों में इस सूची अद्यतन करें;

6. कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से निषिद्ध सामग्रियों का परिवहन करने वाले जलयानों के संबंध में संकल्प 2371 (2016) के पैरा 6 में किए गए उपायों को लागू करने का निर्णय लेती है, समिति को इन जलयानों को नामोद्दिष्ट करने और इस संकल्प को स्वीकार करने के 15 दिन के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का निदेश देती है, यह भी निर्णय लेती है कि यदि समिति ने कार्य नहीं किया, तो सुरक्षा परिषद इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर उपायों को समंजित करने के लिए कार्रवाई पूरी करेगी और समिति को निदेश देती है कि जब भी उसे अतिरिक्त उल्लंघनों की सूचना मिले तो वह इस सूची का नियमति रूप से अद्यतन करें;

मालवाहक जलयानों का समुद्री निषेध

7. सभी सदस्य राष्ट्रों से, ध्वजचिन्हित राष्ट्र की सहमति से महासागरों में उनके जलयानों का निरीक्षण करने का आह्वान करती है यदि उनके पास ऐसी सूचना है जो उन्हें यह मानने के लिए तार्किक आधार प्रदान करती है कि ऐसे जलयानों के सामान में ऐसी मदें शामिल हैं जिनकी आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण अथवा निर्यात पर संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009),

2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा रोक लगाई गई है, ताकि इनके प्रावधानों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके;

8. सभी राष्ट्रों से उपर्युक्त पैरा 7 के अनुसरण में निरीक्षणों के दौरान, और, यदि ध्वजचिह्नित राष्ट्र महासागरों में निरीक्षण के लिए सहमति न दिए जाने की स्थिति में, सहयोग करने का *आह्वान करती है*, यह *निर्णय लेती है* कि ध्वजचिह्नित राष्ट्र जलयान को संकल्प 2270 (2016) के पैरा 18 के अनुसरण में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण किए जाने के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक बंदरगाह पर जाने का निदेश देगा, और आगे *यह भी निर्णय लेती है* कि यदि ध्वजचिह्नित राष्ट्र न तो महासागरों में निरीक्षण के लिए सहमति दे रहा हो और न ही जलयान को अपेक्षित निरीक्षण के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक बंदरगाह पर जाने का निदेश दे रहा हो, अथवा यदि जलयान महासागरों में निरीक्षण के लिए अनुमति देने हेतु ध्वजचिह्नित राष्ट्र के निदेश का अनुपालन करने से अथवा इस तरह के किसी बंदरगाह में जाने से इंकार कर रहा हो तो समिति संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (डी) और संकल्प 2321 (2016) के पैरा 12 में किए गए उपायों के अनुसार जलयान को नामोद्दिष्ट करने पर विचार करेगी और ध्वजचिह्नित राष्ट्र उस जलयान को तत्काल अपनी सूची से हटा देगा बशर्ते कि ऐसी नामोद्दिष्टी समिति द्वारा की गई हो;

9. यदि किसी सदस्य राष्ट्र को उपर्युक्त पैरा 8 के अनुसरण में जलयान के बारे में ध्वजचिह्नित राष्ट्र का सहयोग नहीं मिलता तो समिति उससे *अपेक्षा करती है* कि वह शीघ्र समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें घटना, जलयान और ध्वजचिह्नित राष्ट्र के बारे में संगत ब्योरे दिए गए होंगे और समिति से इन जलयानों तथा संबंधित ध्वजचिह्नित राष्ट्रों के बारे में नियमित आधार पर सूचना जारी करने का *अनुरोध करती है*;

10. *पुष्टि करती है* कि पैरा 7 में, सरकारी सेवा में होने के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित और पहचान योग्य और इस कार्य के लिए प्राधिकृत किए गए युद्धपोतों और अन्य पोतों अथवा वायुयानों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण ही अभिप्रेत हैं, और यह *रेखांकित करती है* कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सार्वभौमिक उन्मुक्ति के लिए हकदार जलयानों के निरीक्षण के संबंध में लागू नहीं होता;

11. *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, अपने भू-क्षेत्र में निगमित अथवा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं, और उनके ध्वजवाहक जलयानों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के ध्वजयुक्त जलयानों को अथवा उनसे किसी भी उन सामानों अथवा मर्दों को पोत-से-पोत को हस्तांतरित करने की सुविधा देने अथवा ऐसा करने से रोकेंगे जिनकी कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को अथवा उससे आपूर्ति, बिक्री, अथवा हस्तांतरण किया जा रहा हो;

12. *पुष्टि करती है* कि पैरा 7, 8 और 9 केवल कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में हालात के संबंध में ही लागू होते हैं और किसी अन्य स्थिति के संबंध में 10 दिसंबर, 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के अंतर्गत किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सदस्यों राष्ट्रों के अधिकारों, दायित्वों अथवा जिम्मेदारियों को प्रभावित नहीं करेंगे और खासतौर से इस तथ्य को *रेखांकित करती है* कि इस संकल्प को रूढ़िजन्य अंतरराष्ट्रीय कानून स्थापित करने के रूप में नहीं समझा जाएगा;

सेक्टरल

13. *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने भू-क्षेत्रों के जरिए अथवा अपने नागरिकों द्वारा, अथवा अपने ध्वजयुक्त जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके और चाहे वे उनके भू-क्षेत्र से चलाए गए हो अथवा नहीं, सभी कन्डेनसैटों और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थों की कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण पर रोक लगाएंगे, और निर्णय लेती है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य ऐसी किसी सामग्री का प्रापण नहीं करेगा;

14. *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को अपने भूक्षेत्र से अथवा उसके नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सभी प्रकार के परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण अथवा उनके जहाजों अथवा हवाई जहाजों, जिन पर उनके ध्वज लगे हों, चाहे वे उनके भूक्षेत्र से निकले हों अथवा नहीं, पर रोक लगाएंगे; *निर्णय*

लेती है कि डीपीआरके इस प्रकार की खरीद नहीं करेगा; *निर्णय* लेती है कि यह प्रावधान डीपीआरके द्वारा 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक 3 माह की प्रारंभिक अवधि के दौरान उसके भूक्षेत्र से अथवा उसके नागरिकों द्वारा 500,000 बैरल तक के पेट्रोलियम उत्पादों और 1 जनवरी, 2018 से प्रारंभ करते हुए तथा तत्पश्चात् प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के दौरान 2,000,000 बैरल पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण अथवा उनके जहाजों अथवा हवाई जहाजों जिन पर उनके ध्वज लगे हों, चाहे वे उनके भूक्षेत्र से निकले हों अथवा नहीं, पर लागू नहीं होगा बशर्ते (क) कि सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की इस प्रकार की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण की तिथि से प्रत्येक 30 दिनों पर इस बाबत समिति को सूचित करे जिसके साथ इस लेन-देने के बारे में सभी पक्षकारों को भी सूचित किया जाए (ख) इस प्रकार के परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, बिक्री तथा अंतरण में कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी शामिल नहीं है जो डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों अथवा संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध कार्यकलापों में शामिल नहीं हैं जिनमें ऐसे अभिनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा कंपनियों अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियां, अथवा उनके स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित कंपनियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, अथवा इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में सहयोग करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियां शामिल हैं, और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण विशेष तौर पर डीपीआरके नागरिकों की आजीविका के प्रयोजनार्थ हैं और यह डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों अथवा संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध कार्यकलापों के लिए राजस्व सृजन के प्रयोजनार्थ नहीं है; समिति के सचिव को *निर्देश* देती है कि वह सभी सदस्य राष्ट्रों को यह सूचित करे कि कब 1 अक्टूबर, 2017 तथा 31 दिसंबर, 2017 के बीच कुल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के 75 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण किया गया और यह भी सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित करे कि कब कुल पेट्रोलियम उत्पादों का 90 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत हिस्सा पहुंचाया गया है; समिति सचिव को *निर्देश* देती है कि 1 जनवरी, 2018 से शुरू करते हुए सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित किया जाए कि कब डीपीआरके को वार्षिक 75 प्रतिशत कुल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति तथा अंतरण कब किया गया, और समिति सचिव को यह भी *निर्देश* देती है कि 1 जनवरी, 2018 से शुरू करते हुए सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित किया जाए कि कब डीपीआरके को वार्षिक 90 प्रतिशत कुल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति तथा अंतरण कब किया गया, और आगे यह भी समिति सचिव को *निर्देश* देती है कि वह सभी सदस्य राष्ट्रों को यह सूचित करे कि डीपीआरके को दिए जाने वाले 95 प्रतिशत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति अथवा अंतरण कब किया गया और उन्हें यह सूचित किया जाए कि वे वर्ष की शेष अवधि के लिए डीपीआरके को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण पर तत्काल रोक लगाए; समिति को *निर्देश* देती है कि वह अपनी वेबसाइट पर डीपीआरके को प्रत्येक माह बेचे गए, आपूर्ति किए गए अथवा अंतरित किए गए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मात्रा तथा यह लेन-देन करने वाले देश का नाम प्रदर्शित करें; समिति को निर्देश देती है कि वह सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस जानकारी को वास्तविक रूप से अद्यतन करे; सभी सदस्य राष्ट्रों से आह्वान करती है कि वे इस वेबसाइट की नियमित समीक्षा करे ताकि इस प्रावधान द्वारा निर्धारित परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक सीमा का अनुपालन किया जा सके; विशेषज्ञों के पैनल को *निर्देश* देती है कि वह सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे क्रियान्वयन प्रयासों पर नजर रखे ताकि सहायता दी जा सके तथा संपूर्ण एवं वैश्विक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके; और महासचिव से अनुरोध करती है कि वे इस दिशा में अपेक्षित व्यवस्थाएं करें तथा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएं;

15. यह *निर्णय* लेती है कि सभी सदस्य राष्ट्र इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तिथि के पश्चात् 12 माह की अवधि में कच्चे तेल की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण नहीं करेंगे जो इस संकल्प को स्वीकार किए जाने से पूर्व 12 माह की अवधि में सदस्य राष्ट्रों द्वारा आपूर्ति की गई, बिक्री की गई अथवा अंतरित की गई कच्चे तेल की मात्रा से अधिक न हो, जब तक कि समिति अग्रिम रूप से मामला-दर-मामला आधार पर यह अनुमोदित न करे कि कच्चे तेल की आपूर्ति विशिष्ट रूप से डीपीआरके के नागरिकों की आजीविका के प्रयोजनार्थ है और यह डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों अथवा संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध कार्यकलापों से संबंधित नहीं हैं;

16. *निर्णय* लेती है कि डीपीआरके अपने भूक्षेत्र से होकर अथवा उसके नागरिकों द्वारा अथवा ऐसे जहाजों अथवा हवाई जहाजों का प्रयोग करके जिस पर उनके ध्वज लगे हों, वस्त्रों (जिनमें फैब्रिक तथा आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः तैयार वस्त्र उत्पाद शामिल हैं परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं हैं) के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण नहीं किया जाएगा और सभी राष्ट्र डीपीआरके से उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके ध्वज लगे जहाजों अथवा हवाई जहाजों का उपयोग करके, चाहे वह डीपीआरके के भूक्षेत्र से होकर गुजरते हों अथवा नहीं, इस प्रकार के मर्दों के प्रापण पर रोक लगाएंगे जब तक कि समिति अग्रिम रूप से मामला-दर-मामला आधार पर इसे अनुमोदित न कर दे, और आगे यह *निर्णय* लेती है कि इस प्रकार के वस्त्रों (जिनमें फैब्रिक तथा आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः तैयार वस्त्र उत्पाद शामिल हैं परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं हैं) की बिक्री, आपूर्ति तथा अंतरण हेतु जिसके लिए इस संकल्प को स्वीकार किए जाने से पूर्व लिखित में अनुबंध निष्पादित किए जा चुके हों, सभी राष्ट्र ऐसी खेप को इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तिथि से 90 दिनों तक अपने भूक्षेत्र में आयात करने की अनुमति देंगे जिसके साथ समिति को यह सूचना दी जाएगी कि आयात किए जाने वाले वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और यह जानकारी इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तिथि से 135 दिनों तक दी जा सकेगी;

17. *निर्णय* लेती है कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने-अपने भूक्षेत्रों में डीपीआरके के नागरिकों के लिए उनके भूक्षेत्रों में प्रवेश से संबंधित कार्य प्राधिकार नहीं देंगे जब तक कि समिति अग्रिम रूप से मामला-दर-मामला आधार पर यह निर्धारित न करे कि डीपीआरके के नागरिकों को किसी सदस्य राष्ट्र के भूक्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करने, परमाणुमुक्त करने अथवा संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के अनुरूप किसी अन्य प्रयोजन के लिए रोजगार अपेक्षित है; और *निर्णय* लेती है कि यह प्रावधान ऐसे कार्य प्राधिकारों के संबंध में लागू नहीं है जिनके लिए इस संकल्प को स्वीकार किए जाने से पूर्व लिखित अनुबंध निष्पादित किए जा चुके हों;

संयुक्त उद्यम

18. *निर्णय* लेती है कि सभी राष्ट्र उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके भूक्षेत्र में डीपीआरके कंपनियों अथवा व्यक्तियों के साथ सभी संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों, नई तथा मौजूदा, खोलने, रख-रखाव करने तथा प्रचालन पर रोक लगाएंगे, चाहे वे डीपीआरके सरकार के लिए अथवा उनकी ओर से कार्य कर रही हों अथवा नहीं, जब तक कि इस प्रकार के संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनियों विशेष तौर पर वे जो गैर-वाणिज्यिक लाभ न कमाने वाली लोक उपयोगी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं हों जिन्हें समिति द्वारा अग्रिम रूप से मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदित किया गया हो; आगे यह भी *निर्णय* लेती है कि सभी राष्ट्र ऐसे मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनियों को इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तिथि से 120 दिनों के भीतर बंद कर देंगे यदि इस प्रकार के संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनियों को समिति ने मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदित न किया हो, और सभी राष्ट्र ऐसे मौजूदा संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों को 120 दिनों के भीतर बंद कर देंगे जिन्हें समिति ने अनुमोदित करने से मना कर दिया हो; और *निर्णय* लेती है कि यह प्रावधान मौजूदा चीन-डीपीआरके जल विद्युत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा रूस-डीपीआरके रेजिन-खासन बंदरगाह और रेल परियोजना पर लागू नहीं होंगे जो मुख्य रूप से संकल्प 2371 (2017) के पैरा 8 द्वारा अनुमत्य रूस से उत्पादित कोयला निर्यात के लिए है।

प्रतिबंधों का कार्यान्वयन

19. यह *फैसला* करता है कि सदस्य देश इस संकल्प का अंगीकरण किए जाने के नब्बे दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद् को इसकी रिपोर्ट करेंगे, और उसके पश्चात् समिति के *अनुरोध* पर, इस संकल्प के प्रावधानों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के क्रम में किए गए ठोस उपायों पर अन्य संयुक्त राष्ट्र अनुवीक्षण दल के सहयोग से विशेषज्ञों के पैनल से ऐसे रिपोर्टों को समयबद्ध तरीके से तैयार करने और प्रस्तुत करने में सदस्य देशों को सहायता करने के अपने प्रयास जारी रखने के लिए अनुरोध करते हैं;

20. संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) तथा इस संकल्प में युक्त उपायों को पूरी तरह कार्यान्वित के प्रयासों को पुनः दोगुना

करने और ऐसा करने में एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए सभी सदस्य देशों से *आह्वान* करता है, विशेष तौर पर उन मदों के निरीक्षण, जांच और जब्त किए जाने के संबंध में जो इन संकल्पों द्वारा प्रतिबंधित हैं;

21. यह *फैसला* करता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 में निर्धारित समिति के अधिदेश इस संकल्प में शामिल उपायों के संबंध में लागू होंगे और आगे यह *फैसला* करता है कि संकल्प 1874 (2009) के पैराग्राफ 26 में निर्दिष्ट और संकल्प 2345 (2017) के पैराग्राफ 1 में परिवर्तित विशेषज्ञों के पैनल के अधिदेश भी इस संकल्प में शामिल उपायों के संबंध में लागू होंगे;

22. सभी सदस्य देशों को प्राधिकृत करने का और यह *फैसला* करता है कि सभी सदस्य देश संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित मदों की आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण अथवा निर्यात के लिए इन मदों को जब्त तथा उनकी बिक्री कर सकता है (जैसे कि उसे नोट करके, उसे निष्क्रिय करके अथवा अनुपयोगी बनाकर, भंडारण, अथवा उनके मूल देश या भेजे जाने वाले गंतव्य देशों से इतर देशों में इसे हस्तांतरित करके), अथवा इस संकल्प के द्वारा निरीक्षणों में इस प्रकार से रेखांकित कि संकल्प 1540 (2004), साथ-साथ एनपीटी के पक्षकारों द्वारा प्रदत्त कोई भी दायित्वों, रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल के निषेध पर अभिसमय और 29 अप्रैल, 1997 के उनके विकास पर अभिसमय और जैविक एवं टॉक्सिन हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध पर अभिसमय तथा 10 अप्रैल 1972 को उनको नष्ट किए जाने सहित सुरक्षा परिषद् संकल्पों के तहत लागू उनके दायित्वों के अनुरूप न हो इस तरीके से;

23. डीपीआरके सहित सभी देशों के महत्व पर *बल देते हुए*, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हुए कि डीपीआरके, अथवा संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) अथवा इस संकल्प में निर्धारित उपायों हेतु नियुक्त संस्थाओं अथवा कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के लाभ के लिए अथवा के माध्यम से किसी अनुबंध अथवा अन्य लेन-देन के संबंध में दावा करता हो, जहां इसके निष्पादन को इस संकल्प अथवा पूर्व के संकल्पों के द्वारा लागू उपायों के कारण से रोका गया हो के कहने पर कोई दावा न हो;

राजनीतिक

24. डीपीआरके की जनता द्वारा झेली जा रही गंभीर परेशानियों पर अपनी गहरी चिंता को *दोहराते* हैं, डीपीआरके के द्वारा अपने लोगों के कल्याण के बजाय परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों को आगे बढ़ाए जाने की निंदा करते हैं क्योंकि डीपीआरके की जनता की आवश्यकताएं अधूरी हैं और इस बात पर *बल देते* हैं कि डीपीआरके वहां की जनता का कल्याण और उनकी अंतर्निहित गरिमा का सम्मान सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है;

25. डीपीआरके द्वारा उनके अपर्याप्त संसाधनों को बड़े तौर पर परमाणु हथियारों के विकास और कई महंगी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की ओर खर्च किए जाने पर *खेद व्यक्त* करता है, मानवीय सहायता के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निष्कर्षों को *नोट* करता है कि डीपीआरके की आधी से अधिक आबादी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराती महिलाएं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्हें कुपोषण का शिकार होने का खतरा रहता है सहित खाद्य तथा चिकित्सा देखभाल में बड़ी असुरक्षाओं से जूझ रही है और कुल आबादी की लगभग एक-चौथाई संख्या चिरकालिक कुपोषण से जूझ रही है और इस संदर्भ में डीपीआरके की जनता द्वारा झेली जा रही गंभीर कठिनाइयों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं;

26. इसकी पुनर्पुष्टि करता है कि संकल्प 1718 (2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2321(2016), 2356(2017), 2371 (2017) और इस संकल्प के द्वारा लगाए गए उपायों का उद्देश्य डी पी आर के की नागरिक आबादी के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालना अथवा उन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालना अथवा ऐसे कार्यकलापों, जिनमें आर्थिक कार्यकलाप उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना नहीं है, जिन्हें संकल्पों 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2321(2016), 2356(2017), 2371 (2017) और इस संकल्प के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और डी पी आर के के नागरिकों के लाभार्थ अंतर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा डी पी आर के में चलाई जा रही सहायता एवं राहत गतिविधियों को भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यह निर्णय करता है कि

यदि समिति यह निर्धारित करती है कि डी पी आर के में ऐसे संगठनों के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे छूट आवश्यक हैं अथवा इन संकल्पों के उद्देश्यों के साथ किसी अन्य प्रयोजनार्थ इसे उपयुक्त पाती हैं तो समिति मामला दर मामला आधार पर इन संकल्पों द्वारा लागू उपायों से किसी भी गतिविधि को छूट प्रदान कर सकती हैं।

27. इस बात पर बल देते हैं कि सभी सदस्य देश राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय के अनुसार डी पी आर के में राजनयिक मिशनों के कार्यकलापों को बिना किसी पक्षपात के संकल्प 1718(2006) पैराग्राफ 8(क) और 8(घ) के प्रावधानों के अनुपालन में होने चाहिए।

28. सिक्स पार्टी वार्ता हेतु अपने सहयोग की पुनर्पुष्टि करता है, उनके पुनरारंभ किए जाने हेतु आह्वान करता है और चीन, डी पी आर के जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और अमेरिका द्वारा 19 सितंबर 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित की गई प्रतिबद्धताओं हेतु अपने सहयोग हो दोहराता है, इसमें सिक्स पार्टी वार्ता के लक्ष्य कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांतिपूर्ण तरीके से सत्यापनीय डीन्यूक्लियराइजेशन कि अमेरिका और डी पी आर के एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक साथ शांतिपूर्ण तरीकेसे मौजूद रहेंगे भी शामिल था कि सिक्स पार्टियों ने आर्थिक सहयोग तथा अन्य सभी उपयुक्त प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

29. कोरियाई प्रायद्वीप और उत्तर पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराता है, इस स्थिति की शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है और बातचीत के माध्यम से एक शांतिपूर्ण एवं व्यापक समाधान की सुविधा के लिए परिषद के सदस्यों के साथ-साथ अन्य देशों के प्रयासों का स्वागत करता है और कोरियाई प्रायद्वीप एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में तनाव को कम किए जाने हेतु कार्य दिए जाने के महत्व पर बल देता है।

30. तनाव को कम करने के लिए और अधिक कार्य किए जाने को आग्रह करता है ताकि व्यापक बंदोबस्त की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके;

31. कोरियाई प्रायद्वीप में शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण, सत्यापनीय और अपरिवर्तनीय डीन्यूक्लियराइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इसकी अनिवार्यता को रेखांकित करता है;

32. यह पुष्टि करता है कि यह डी पी आर के की गतिविधियों को लगातार समीक्षाधीन रखेगा और डी पी आर के के अनुपालन को देखते हुए यथापेक्षित उपायों को सुदृढ़, परिवर्तित, आस्थगित अथवा हटाएगा, और इस संदर्भ में यह डी पी आर के द्वारा आगे किए जाने वाले परमाणु प्रक्षेपण अथवा लांच के क्रम में आगे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया;

33. मामले पर विचार पर बने रहने का फैसला किया।

अनुबंध - I

यात्रा प्रतिबंध/परिसंपत्ति फ्रीज (व्यक्ति)

1. पाक योंग सिक

क. विवरण: पाक योंग सिक कोरिया के सेंट्रल मिलिटरी कमीशन की वर्कर्स पार्टी का सदस्य है, जो कोरिया वर्कर्स पार्टी की मिलिटरी नीतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और डी पी आर के की सेना का कमाण्ड और नियंत्रण करता है, और देश के मिलिटरी डिफेंस उद्योग को निर्देश देने में सहायता करता है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. पहचानकर्ता: जन्म वर्ष :1950, राष्ट्रियता: डी पी आर के”

अनुबंध – II

परिसंपत्ति फ्रीज (संस्थाएं)

1. कोरिया वर्कर्स पार्टी का सेंट्रल मिलिटरी कमीशन (सी एम एी)

क. विवरण: सेंट्रल मिलिटरी कमीशन कोरिया की मिलिटरी नीतियों, कमाण्ड और कंट्रोल के विकास और कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है, और यह स्टेट अफेयर्स कमीशन के समन्वय से देश के मिलिटरी डिफेंस इंडस्ट्रीज को निर्देश देता है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके

2. संगठन एवं मार्गदर्शन विभाग (ओ जी डी)

क. विवरण: संगठन एवं मार्गदर्शन विभाग कोरिया वर्कर्स पार्टी की एक शक्तिशाली निकाय है जो कोरिया वर्कर्स पार्टी के लिए मुख्य कार्मिकों डी पी आर के मिलिटरी और डी पी आर के सरकारी प्रशासन की नियुक्तियां करता है। यह डी पी आर के सभी राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करता है और डी पी आर के की सेंसरशिप नीतियों को कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका निभाता है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. स्थान: डी पी आर के

3. प्रोपैगैंडा एंड रजिटेशन डिपार्टमेंट (पी ए डी)

क. विवरण: प्रोपैगैंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट का मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण है, जो डी पी आर के नेतृत्व की ओर से जनता को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रोपैगैंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट समाचार-पत्रों और प्रसारण सेंसरशिप सहित डी पी आर के सरकार के द्वारा सेंसरशिप हेतु कार्य करता है अथवा उत्तरदायी है।

ख. उर्फ: एन/ए

ग. स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके”

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 31st October, 2017

S.O. 3495(E).— Whereas the Security Council of the United Nations adopted Resolution 2356 (2017) on 2nd June, 2017 at its 7958th meeting, Resolution 2371 (2017) on 5th August, 2017 at its 8019th meeting and Resolution 2375 (2017) at its 8042nd meeting on 11th September 2017 (appended to this Order as Schedule VII, and Schedule VIII and Schedule IX respectively) under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all States to take certain measures;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to the Implementation of Security

Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea Order, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1549 (E), dated the 15th May, 2017, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) This Order may be called the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea (Amendment) Order, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said Order,-

(a) in paragraph 2, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- “(a) “Resolutions” mean the United Nations Security Council Resolutions under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Democratic People's Republic of Korea, namely, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) and 2375 (2017)” ;

(b) in paragraph 3,-

(i) for sub-paragraph (d), the following shall be substituted, namely:-

“(d) freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on its territories, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities set out in -

(1) Part A and Part C of S/2009/364 (Appendix III to this Order);

(2) Annex I and II of Resolution 2087 (2013);

(3) Annex I and II of Resolution 2094 (2013);

(4) Annex I, II and III of Resolution 2270 (2016), as amended by Security

Council Press Release SC/12636 of 17 December 2016 (Appendix VII to this Order);

(5) Annex I and II of Resolution 2321 (2016);

(6) Annex I and II of Resolution 2356 (2017);

(7) Annex I and II of Resolution 2371 (2017); and

(8) Annex I and II of Resolution 2375 (2017),

as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, other weapon of mass destruction-related and ballistic missile-related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by its nationals or by any persons or entities within India, to or for the benefit of such persons or entities.

Note 1: The asset freeze shall apply to all the funds, other financial assets and economic resources outside of the Democratic People's Republic of Korea that are owned or controlled, directly or indirectly, by entities of the

Government of the Democratic People's Republic of Korea or the Worker's Party of Korea, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, that the Central Government determines are associated with the Democratic People's Republic of Korea's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by the Resolutions .

Note 2: These measures are subject to the exemptions set out in paragraph 9 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 32 of Resolution 2270 (2016)";

(ii) for sub-paragraph (e), the following shall be substituted:-

“(e) prevent the entry into or transit through India of the persons listed in -

1. Part C of S/2009/364 (Appendix III to this Order);
2. Annex I of Resolution 2087 (2013);
3. Annex I of Resolution 2094 (2013);
4. Annex I of Resolution 2270 (2016);
5. Annex I of Resolution 2321 (2016);
6. Annex I of Resolution 2356 (2017);
7. Annex I of Resolution 2371 (2017); and
8. Annex I of Resolution 2375 (2017),

as being responsible for, including through supporting or promoting, Democratic People's Republic of Korea policies in relation to the Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing contained above shall oblige the Central Government to refuse its own nationals entry into its territory.

Note: The travel ban measures are subject to the exemptions set out in paragraph 10 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 10 of Resolution 2094 (2013)";

(iii) For sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely:-

“(i) prevent the provision of financial services, including clearing of funds or the transfer to, through, or from its territory, or to or by its nationals or entities organised under its laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in its territory, including companies performing financial services commensurate with those provided by banks, of any financial or other assets or resources including bulk cash, and transfers of gold, including through gold couriers, transiting to and from the Democratic People's Republic of Korea, that could contribute to the Democratic People's Republic of Korea's nuclear or ballistic missile programme, or other activities prohibited by the Resolutions or to the evasion of measures imposed by the Resolutions, including by freezing any financial or other assets or resources on its territories or that hereafter come within its territories, or that are subject to its jurisdiction or that hereafter become subject to its jurisdiction, that are associated with such programmes or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with its national authorities and legislation”;

(iv) for sub-paragraph (r), the following shall be substituted, namely:-

“(r) prohibit Indian nationals, persons subject to Indian jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from registering vessels in the Democratic People’s Republic of Korea, obtaining authorisation for a vessel to use the Democratic People’s Republic of Korea flag, and from owning, leasing, operating, chartering, providing any vessel classification, certification or associated service, or insuring any vessel flagged by the Democratic People’s Republic of Korea. The said provisions would apply without exception, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance”;

(v) for sub-paragraph (u), the following shall be substituted, namely:-

“(u) prohibit the procurement, by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the Democratic People’s Republic of Korea, of coal, iron and iron ore, from the Democratic People’s Republic of Korea. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 8 of Resolution 2371 (2017)”;

(vi) for sub-paragraph (z), the following shall be substituted, namely:-

“(z) prohibit in its territories the opening and operation of new branches, subsidiaries, and representative offices of Democratic People’s Republic of Korea banks; and prohibit financial institutions within its territories or subject to its jurisdiction, including companies performing financial services commensurate with those provided by banks, from establishing new joint ventures and from taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with Democratic People’s Republic of Korea banks, unless such transactions have been approved by the Committee in advance; and take the necessary measures to close such existing branches, subsidiaries and representative offices, and also terminate such joint ventures, ownership interests and correspondent banking relationships with Democratic People’s Republic of Korea banks”;

(vii) for sub-paragraph (zb), the following shall be substituted, namely:-

“(zb) prohibit financial institutions within India or its jurisdiction, including companies performing financial services commensurate with those provided by banks, from opening new representative offices or subsidiaries, branches or banking accounts in the Democratic People’s Republic of Korea”;

(viii) after sub-paragraph (ze) and the entry relating thereto, the following shall be inserted:-

“(zf) prohibit the procurement by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the Democratic People’s Republic of Korea, of seafood (including fish, crustaceans, mollusks, and other aquatic invertebrates in all forms). This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 9 of Resolution 2371 (2017);

(zg) prohibit the procurement by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the Democratic People’s Republic of Korea, of lead and lead ore. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 10 of Resolution 2371 (2017);

(zh) not provide work authorizations for Democratic People's Republic of Korea nationals in its jurisdictions in connection with admission to its territories unless the Committee determines on a case-by-case basis in advance that employment of Democratic People's Republic of Korea nationals is required for the delivery of humanitarian assistance, denuclearization or any other purpose consistent with the objectives of the Resolutions. This provision shall not apply with respect to work authorizations for which written contracts have been finalized prior to the adoption of Resolution 2375 (2017);

(zi) prohibit, by Indian nationals or in India, the opening of new joint ventures or cooperative entities with Democratic People's Republic of Korea entities or individuals, or the expansion of existing joint ventures through additional investments, whether or not acting for or on behalf of the government of the Democratic People's Republic of Korea, unless such joint ventures or cooperative entities have been approved by the Committee in advance on a case-by-case basis. Further, all existing joint ventures or cooperative entities shall be closed unless exempted from closure by the Committee as per the procedure set out in Paragraph 18 of Resolution 2375 (2017);

(zj) prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer, through its territories or by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in its territories, of all condensates and natural gas liquids;

(zk) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, through its territories or by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in its territories, of all refined petroleum products. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 14 of Resolution 2375 (2017);

(zl) prohibit the supply, sale or transfer of crude oil to the Democratic People's Republic of Korea. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 15 of Resolution 2375 (2017);

(zm) prohibit the procurement by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the Democratic People's Republic of Korea, of textiles (including but not limited to fabrics and partially or fully completed apparel products). This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 16 of Resolution 2375 (2017)".

(c) for Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

Schedule-I United Nations Security Council Resolution (S/RES/1718/2006) dated October 14, 2006.

(d) after Schedule-VI, the following schedules shall be added, namely:-

"Schedule-VII: United Nations Security Council Resolution S/RES/2356 (2017) dated June 2, 2017";

"Schedule-VIII: United Nations Security Council Resolution S/RES/2371 (2017) dated August 5, 2017";

"Schedule-IX": United Nations Security Council Resolution S/RES/2375 (2017) dated September 11, 2017".

[F. No. AE-I/102/11(A)/2017]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy. (D&ISA)

Note :— The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1549 (E) dated 15 May 2017.

United Nations

“SCHEDULE-I
S/RES/1718(2006)**Security Council**Distr.: General
14 October 2006
Original: English**Resolution 1718 (2006)****Adopted by the Security Council at its 5551st meeting, on 14 October 2006***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004) and, in particular, resolution 1695 (2006), as well as the statement of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing the gravest concern at the claim by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) that it has conducted a test of a nuclear weapon on 9 October 2006, and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Expressing its firm conviction that the international regime on the non-proliferation of nuclear weapons should be maintained and recalling that the DPRK cannot have the status of a nuclear-weapon state in accordance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Deploing the DPRK’s announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its pursuit of nuclear weapons,

Deploing further that the DPRK has refused to return to the Six-Party talks without precondition,

Endorsing the Joint Statement issued on 19 September 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States,

Underlining the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Expressing profound concern that the test claimed by the DPRK has generated increased tension in the region and beyond, and *determining* therefore that there is a clear threat to international peace and security, *Acting* under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* the nuclear test proclaimed by the DPRK on 9 October 2006 in flagrant disregard of its relevant resolutions, in particular resolution 1695 (2006), as well as of the statement of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), including that such a test would bring universal condemnation of the international community and would represent a clear threat to international peace and security;

2. *Demands* that the DPRK not conduct any further nuclear test or launch of a ballistic missile;

3. *Demands* that the DPRK immediately retract its announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;

4. *Demands* further that the DPRK return to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, and *underlines* the need for all States Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to continue to comply with their Treaty obligations;

5. *Decides* that the DPRK shall suspend all activities related to its ballistic missile programme and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launching;

6. *Decides* that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes in a complete, verifiable and irreversible manner, shall act strictly in accordance with the obligations

applicable to parties under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the terms and conditions of its International Atomic Energy Agency (IAEA) Safeguards Agreement (IAEA INFCIRC/403) and shall provide the IAEA transparency measures extending beyond these requirements, including such access to individuals, documentation, equipments and facilities as may be required and deemed necessary by the IAEA;

7. *Decides* also that the DPRK shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programme in a complete, verifiable and irreversible manner;

8. *Decides* that:

(a) All Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of:

(i) Any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related materiel including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established by paragraph 12 below (the Committee);

All items, materials, equipment, goods and technology as set out in the lists in documents S/2006/814 and S/2006/815, unless within 14 days of adoption of this resolution the Committee has amended or completed their provisions also taking into account the list in document S/2006/816, as well as other items, materials, equipment, goods and technology, determined by the Security Council or the Committee, which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes;

(iii) Luxury goods;

(b) The DPRK shall cease the export of all items covered in subparagraphs

(a) (i) and (a) (ii) above and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

(c) All Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraphs (a) (i) and (a) (ii) above;

(d) All Member States shall, in accordance with their respective legal processes, freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of the adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities designated by the Committee or by the Security Council as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, DPRK's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile-related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any persons or entities within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;

(e) All Member States shall take the necessary steps to prevent the entry into or transit through their territories of the persons designated by the Committee or by the Security Council as being responsible for, including through supporting or promoting, DPRK policies in relation to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse its own nationals entry into its territory;

(f) In order to ensure compliance with the requirements of this paragraph, and thereby preventing illicit trafficking in nuclear, chemical or biological weapons, their means of delivery and related materials, all Member States are called upon to take, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, cooperative action including through inspection of cargo to and from the DPRK, as necessary;

9. *Decides* that the provisions of paragraph 8 (d) above do not apply to financial or other assets or resources that have been determined by relevant States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person referred to in paragraph 8 (d) above or an individual or entity identified by the Security Council or the Committee, and has been notified by the relevant States to the Committee;

10. *Decides* that the measures imposed by paragraph 8 (e) above shall not apply where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligations, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of the present resolution;

11. *Calls upon* all Member States to report to the Security Council within thirty days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively the provisions of paragraph 8 above;

12. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council, to undertake the following tasks:

(a) To seek from all States, in particular those producing or possessing the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 8 (a) above, information regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraph 8 above of this resolution and whatever further information it may consider useful in this regard;

(b) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations of measures imposed by paragraph 8 of this resolution;

(c) To consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraphs 9 and 10 above;

(d) To determine additional items, materials, equipment, goods and technology to be specified for the purpose of paragraphs 8 (a) (i) and 8 (a) (ii) above;

(e) To designate additional individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 8 (d) and 8 (e) above;

(f) To promulgate guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed by this resolution;

(g) To report at least every 90 days to the Security Council on its work, with its observations and recommendations, in particular on ways to strengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraph 8 above;

13. *Welcomes and encourages further* the efforts by all States concerned to intensify their diplomatic efforts, to refrain from any actions that might aggravate tension and to facilitate the early resumption of the Six-Party Talks, with a view to the expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States, to achieve the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula and to maintain peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia;

14. *Calls upon* the DPRK to return immediately to the Six-Party Talks without precondition and to work towards the expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September 2005 by

China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States;

15. *Affirms* that it shall keep DPRK's actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in paragraph 8 above, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at that time in light of the DPRK's compliance with the provisions of the resolution;

16. *Underlines* that further decisions will be required, should additional measures be necessary;

17. *Decides* to remain actively seized of the matter”.

“SCHEDULE-VII

Resolution 2356 (2017)

Adopted by the Security Council at its 7958th meeting, on 2 June 2017

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013), resolution 2094 (2013), resolution 2270 (2016), and resolution 2321 (2016), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing serious concern that the DPRK has continued to violate relevant Security Council resolutions through repeated launches and attempted launches of ballistic missiles, and *noting* that all such ballistic missile activities contribute to the DPRK's development of nuclear weapons delivery systems and increase tension in the region and beyond,

Expressing great concern that the DPRK's prohibited arms sales have generated revenues that are diverted to the pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles while DPRK citizens have unmet needs,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear - and ballistic missile-related activities have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear weapons and ballistic missile development activities including a series of ballistic missile launches and other activities conducted by the DPRK since 9 September 2016 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions;

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities; shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation; shall suspend all activities related to its ballistic missile programme and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches; and shall abandon any other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programmes in a complete, verifiable and irreversible manner;

3. *Recalls* the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006), as modified by subsequent resolutions, and *decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply to the individuals and entities listed in Annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall apply to the individuals listed in Annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

4. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic, and political solution to the

situation, and *welcomes* efforts by Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and *stresses* the importance of working to reduce tensions in the Korean Peninsula and beyond;

5. *Decides* to remain seized of the matter”.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. CHO IL U

- a. *Description*: Director of the Fifth Bureau of the Reconnaissance General Bureau. Cho is believed to be in charge of overseas espionage operations and foreign intelligence collection for the DPRK.
- b. *AKA*: Cho Il Woo
- c. *Identifiers*: DOB: May 10, 1945; POB: Musan, North Hamgyo’ng Province, DPRK; nationality: DPRK; Passport Number 736410010

2. CHO YON CHUN

- a. *Description*: Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the DPRK’s military.
- b. *AKA*: Jo Yon Jun
- c. *Identifiers*: DOB: September 28, 1937; Nationality: DPRK

3. CHOE HWI

- a. *Description*: First Vice Director of the Workers’ Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all DPRK media and is used by the government to control the public.
- b. *A.K.A.*: n/a
- c. *Identifiers*: YOB: 1954 or 1955, Nationality: DPRK; Gender: male; Address: DPRK

4. JO YONG-WON

- a. *Description*: Vice Director of the Worker’s Party of Korea’s Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers’ Party of Korea and the DPRK’s military.

-
-
- b. *A.K.A.*: Cho Yongwon
- c. *Identifiers*: DOB: October 24, 1957; Nationality: DPRK; Gender, male; Address: DPRK
5. KIM CHOL NAM
- a. *Description*: President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to the DPRK.
- b. *A.K.A.*: n/a
- c. *Identifiers*: DOB: February 19, 1970; Nationality: DPRK; Passport no.: 563120238; Address: DPRK
6. KIM KYONG OK
- a. *Description*: Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea and the DPRK's military.
- b. *AKA*: Kim Kyong Ok
- c. *Identifiers*: YOB: 1937 or 1938; Nationality: DPRK; Address: Pyongyang, DPRK
7. KIM TONG-HO
- a. *Description*: Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank, which is the main DPRK financial entity for weapons and missile -related sales.
- b. *A.K.A.*: n/a
- c. *Identifiers*: DOB: August 18, 1969; Nationality: DPRK; Passport no.: 745310111; Gender: male; Address: Vietnam
8. MIN BYONG CHOL
- a. *Description*: Member of the Worker's Party of Korea's Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea and the DPRK's military.
- b. *A.K.A.*: Min Pyo'ng-ch'o'l, Min Byong-chol, Min Byong Chun
- c. *Identifiers*: DOB: August 10, 1948; Nationality: DPRK; Gender: male; Address: DPRK

9. PAEK SE BONG

- a. *Description:* Paek Se Bong is a former Chairman of the Second Economic Committee, a former member of the National Defense Commission, and a former Vice Director of Munitions Industry Department (MID).
- b. *AKA:* n/a
- c. *Identifiers:* DOB: 21 March 1938; Nationality: DPRK

10. PAK HAN SE

- a. *Description:* Vice Chairman of the Second Economic Committee, which oversees the production of the DPRK's ballistic missiles and directs the activities of Korea Mining Development Corporation, the DPRK's premier arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.
- b. *A.K.A.:* Kang Myong Chol
- c. *Identifiers:* Nationality: DPRK; Passport no.: 290410121; Address: DPRK

11. PAK TO CHUN

- a. *Description:* Pak To Chun is a former Secretary of Munitions Industry Department (MID) and currently advises on affairs relating to nuclear and missile programmes. He is a former State Affairs Commission member and is a member Workers' Party of Korea Political Bureau.
- b. *AKA:* Pak Do Chun
- c. *Identifiers:* DOB: 9 March 1944; Nationality: DPRK

12. RI JAE IL

- a. *Description:* Vice Director of the Workers' Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all DPRK's media and is used by the government to control the public.
- b. *AKA:* RI, Chae-II
- c. *Identifiers:* YOB 1934; Nationality: DPRK

13. RI SU YONG

- a. *Description:* Official for Korea Ryonbong General Corporation, specializes in acquisition for DPRK's defence industries and support to Pyongyang's military-related sales. Its procurements also probably support the DPRK's chemical weapons programme.
- b. *A.K.A.:* n/a
- c. *Identifiers:* DOB: June 25, 1968; Nationality: DPRK; Passport no.: 654310175; Gender: male; Address: Cuba

14. RI YONG MU

- a. *Description:* Ri Yong Mu is a Vice Chairman of the State Affairs Commission, which directs and guides all DPRK's military, defence, and security-related affairs, including acquisition and procurement.
- b. *AKA:* n/a
- c. *Identifiers:* DOB: 25 January 1925; Nationality: DPRK

Annex II**Asset Freeze (Entities)**

1. KANGBONG TRADING CORPORATION

- a. *Description:* The Kangbong Trading Corporation sold, supplied, transferred, or purchased, directly or indirectly, to or from the DPRK, metal, graphite, coal, or software, where revenue or goods received may benefit the Government of the DPRK or the Workers' Party of Korea. The Kangbong Trading Corporation's parent is the Ministry of People's Armed Forces.
- b. *AKA:* N/A
- c. *Location:* DPRK

2. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION

- a. *Description:* Korea Kumsan Trading Corporation is owned or controlled by, or acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the General Bureau of Atomic Energy, which oversees the DPRK's nuclear programme.
- b. *AKA:* N/A
- c. *Location:* Pyongyang, DPRK

3. KORYO BANK

- a. *Description:* Koryo Bank operates in the financial services industry in the DPRK's economy and is associated with Office 38 and Office 39 of the KWP.
- b. *AKA:* N/A
- c. *Location:* Pyongyang, DPRK

4. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY

- a. *Description:* The Strategic Rocket Force of the Korean People's Army is in charge of all DPRK ballistic missile programmes and is responsible for SCUD and NODONG launches.
- b. *AKA:* Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces
- c. *Location:* Pyongyang, DPRK";

"SCHEDULE-VIII

United Nations

S/RES/2371(2017)

Security CouncilDistr.: General
5 August 2017**Resolution 2371 (2017)****Adopted by the Security Council at its 8019th meeting, on 5 August 2017***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013), resolution 2094 (2013), resolution 2270 (2016), resolution 2321 (2016), and resolution 2356 (2017), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing its gravest concern at the July 3 and July 28 of 2017 ballistic missile tests by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK"), which the DPRK has stated were tests of intercontinental ballistic missiles, in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), and 2356 (2017), and at the challenge such tests constitute to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger they pose to peace and stability in the region and beyond,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Underlining also that measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK,

Expressing serious concern that the DPRK has continued to violate relevant Security Council resolutions through repeated launches and attempted launches of ballistic missiles, and *noting* that all such ballistic missile activities contribute to the DPRK's development of nuclear weapons delivery systems and increase tension in the region and beyond,

Expressing continued concern that the DPRK is abusing the privileges and immunities accorded under the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations,

Expressing great concern that the DPRK's prohibited arms sales have generated revenues that are diverted to the pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles while DPRK citizens have unmet needs,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear - and ballistic missile-related activities have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the ballistic missile launches conducted by the DPRK on 3 July and 28 July of 2017, which the DPRK has stated were launches of intercontinental ballistic missiles, and which used ballistic missile technology in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions;

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation; shall suspend all activities related to its ballistic missile program and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches; shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities; and shall abandon any other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programs in a complete, verifiable and irreversible manner;

Designations

3. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *decides* further that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the individuals listed in Annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

4. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006) and this resolution through the designation of additional goods, *directs* the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within fifteen days of adoption of this resolution, and *further decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report;

5. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 7 of resolution 2321 (2016) through the designation of additional conventional arms -related items, materials, equipment, goods, and technology, *directs* the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within thirty days of adoption of this resolution, *further decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report, and *directs* the Committee to update this list every 12 months;

Transportation

6. Decides that the Committee may designate vessels for which it has information indicating they are, or have been, related to activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), or this resolution and all Member States shall prohibit the entry into their ports of such designated vessels, unless entry is required in the case of emergency or in the case of return to its port of origination, or unless the Committee determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), or this resolution;

7. Clarifies that the measures set forth in paragraph 20 of resolution 2270 (2016) and paragraph 9 of resolution 2321 (2016), requiring States to prohibit their nationals, persons subject to their jurisdiction and entities incorporated in their territory or subject to their jurisdiction from owning, leasing, operating any vessel flagged by the DPRK, without exception, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance, apply to chartering vessels flagged by the DPRK;

Sectoral

8. Decides that paragraph 26 of resolution 2321 (2016) shall be replaced by the following:

“Decides that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, coal, iron, and iron ore, and that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK, decides that for sales and transactions of iron and iron ore for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution, all States may allow those shipments to be imported into their territories up to 30 days from the date of adoption of this resolution with notification provided to the Committee containing details on those imports by no later than 45 days after the date of adoption of this resolution, and decides further that this provision shall not apply with respect to coal that the exporting State confirms on the basis of credible information has originated outside the DPRK and was transported through the DPRK solely for export from the Port of Rajin (Rason), provided that the exporting State notifies the Committee in advance and such transactions involving coal originating outside of the DPRK are unrelated to generating revenue for the DPRK’s nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), or this resolution;”

9. Decides that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, seafood (including fish, crustaceans, mollusks, and other aquatic invertebrates in all forms), and that all States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the DPRK, and further decides that for sales and transactions of seafood (including fish, crustaceans, mollusks, and other aquatic invertebrates in all forms) for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution, all States may allow those shipments to be imported into their territories up to 30 days from the date of adoption of this resolution with notification provided to the Committee containing details on those imports by no later than 45 days after the date of adoption of this resolution;

10. Decides that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, lead and lead ore, and that all States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the DPRK, and further decides that for sales and transactions of lead and lead ore for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution, all States may allow those shipments to be imported into their territories up to 30 days from the date of adoption of this resolution with notification provided to the Committee containing details on those imports by no later than 45 days after the date of adoption of this resolution;

11. Expresses concern that DPRK nationals frequently work in other States for the purpose of generating foreign export earnings that the DPRK uses to support its prohibited nuclear and ballistic missile programs, decides that all Member States shall not exceed on any date after the date of adoption of this resolution the total number of work authorizations for DPRK nationals provided in their

jurisdictions at the time of the adoption of this resolution unless the Committee approves on a case - by-case basis in advance that employment of additional DPRK nationals beyond the number of work authorizations provided in a member state's jurisdiction at the time of the adoption of this resolution is required for the delivery of humanitarian assistance, denuclearization or any other purpose consistent with the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), or this resolution;

Financial

12. *Decides* that States shall prohibit, by their nationals or in their territories, the opening of new joint ventures or cooperative entities with DPRK entities or individuals, or the expansion of existing joint ventures through additional investments, whether or not acting for or on behalf of the government of the DPRK, unless such joint ventures or cooperative entities have been approved by the Committee in advance on a case-by-case basis;

13. *Clarifies* that the prohibitions contained in paragraph 11 of resolution 2094 (2013) apply to clearing of funds through all Member States' territories;

14. *Clarifies* that companies performing financial services commensurate with those provided by banks are considered financial institutions for the purposes of implementing paragraph 11 of resolution 2094 (2013), paragraphs 33 and 34 of resolution 2270 (2016), and paragraph 33 of resolution 2321 (2016);

Chemical Weapons

15. *Recalls* paragraph 24 of resolution 2270 (2016), *decides* that the DPRK shall not deploy or use chemical weapons, and *urgently calls upon* the DPRK to accede to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and Their Destruction, and then to immediately comply with its provisions;

Vienna Convention

16. *Demands* that the DPRK fully comply with its obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations;

Impact on the People of the DPRK

17. *Regrets* the DPRK's massive diversion of its scarce resources toward its development of nuclear weapons and a number of expensive ballistic missile programs, *notes* the findings of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance that well over half of the people in the DPRK suffer from major insecurities in food and medical care, including a very large number of pregnant and lactating women and under -five children who are at risk of malnutrition and nearly a quarter of its total population suffering from chronic malnutrition, and, in this context, *expresses* deep concern at the grave hardship to which the people in the DPRK are subjected;

Sanctions Implementation

18. *Decides* that Member States shall report to the Security Council within ninety days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, *requests* the Panel of Experts, in cooperation with other United Nations sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist Member States in preparing and submitting such reports in a timely manner;

19. *Calls upon* all Member States to redouble efforts to implement in full the measures in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), and 2356 (2017), and to cooperate with each other in doing so, particularly with respect to inspecting, detecting and seizing items the transfer of which is prohibited by these resolutions;

20. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in this resolution and *further decides* that the mandate of the Panel of Experts, as specified in paragraph 26 of resolution 1874 (2009) and modified in

paragraph 1 of resolution 2345 (2017), shall also apply with respect to the measures imposed in this resolution;

21. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable or unusable, storage, or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) of items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), or this resolution that are identified in inspections, in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction of 29 April 1997, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 10 April 1972;

22. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

23. *Requests* that Interpol issue Special Notices with respect to designated individuals, and *directs* the Committee to work with Interpol to develop the appropriate arrangements to do so;

24. *Requests* the Secretary-General to provide additional analytical resources needed to the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009) to strengthen its ability to analyze the DPRK's sanctions violation and evasion activities;

Political

25. *Reiterates* its deep concern at the grave hardship that the people in the DPRK are subjected to, *condemns* the DPRK for pursuing nuclear weapons and ballistic missiles instead of the welfare of its people while people in the DPRK have great unmet needs, and *emphasizes* the necessity of the DPRK respecting and ensuring the welfare and inherent dignity of people in the DPRK;

26. *Reaffirms* that the measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively or restrict those activities, including economic activities and cooperation, food aid and humanitarian assistance, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) and this resolution, and the work of international and non-governmental organizations carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK and *decides* that the Committee may, on a case-by-case basis, exempt any activity from the measures imposed by these resolutions if the committee determines that such an exemption is necessary to facilitate the work of such organizations in the DPRK or for any other purpose consistent with the objectives of these resolutions, and *further decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall not apply with respect to financial transactions with the DPRK Foreign Trade Bank or the Korea National Insurance Corporation if such transactions are solely for the operation of diplomatic or consular missions in the DPRK or humanitarian assistance activities that are undertaken by, or in coordination with, the United Nations;

27. *Reaffirms* its support for the Six Party Talks, *calls* for their resumption, and *reiterates* its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments;

28. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, and *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic, and political solution to the situation and welcomes efforts by the Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and stresses the importance of working to reduce tensions in the Korean Peninsula and beyond;

29. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch;

30. *Decides* to remain seized of the matter.

S/RES/2371 (2017)

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. CHOE CHUN YONG

- a. *Description*: Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.
- b. *A.K.A.*: Ch'oe Ch'un-yo'ng
- c. *Identifiers*: Nationality: DPRK; Passport no.: 654410078; Gender: male

2. HAN JANG SU

- a. *Description*: Chief Representative of the Foreign Trade Bank.
- b. *A.K.A.*: Chang-Su Han
- c. *Identifiers*: DOB: November 08, 1969; POB: Pyongyang, DPRK; Nationality: DPRK; Passport no.: 745420176, expires on October 19, 2020; Gender: male

3. JANG SONG CHOL

- a. *Description*: Jang Song Chol is a Korea Mining Development Corporation (KOMID) representative overseas.
- b. *AKA*: n/a
- c. *Identifiers*: DOB: 12 March 1967; Nationality: DPRK

4. JANG SUNG NAM

- a. *Description*: Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch, which is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support the DPRK's defense research and development programs.
- b. *A.K.A.*: n/a
- c. *Identifiers*: DOB: July 14, 1970; Nationality: DPRK; Passport no.: 563120368, issued on March 22, 2013; Passport expiration date: March 22, 2018; Gender: male

5. JO CHOL SONG

- a. *Description*: Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation, which provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading, a subordinate entity of Korea Ryonbong General Corporation.
- b. *A.K.A.*: Cho Ch'o'l-so'ng
- c. *Identifiers*: DOB: September 25, 1984; Nationality: DPRK; Passport no.:

654320502, expires on September 16, 2019; Gender: male

6. KANG CHOL SU
 - a. *Description:* Official for Korea Ryonbong General Corporation, which specializes in acquisition for the DPRK's defense industries and support for the DPRK's military-related overseas sales. Its procurements also likely support the DPRK's chemical weapons program.
 - b. *A.K.A.:* n/a
 - c. *Identifiers:* DOB: February 13, 1969; Nationality: DPRK; Passport no.: 472234895
7. KIM MUN CHOL
 - a. *Description:* Representative for Korea United Development Bank.
 - b. *A.K.A.:* Kim Mun-ch'o'l
 - c. *Identifiers:* DOB: March 25, 1957; Nationality: DPRK
8. KIM NAM UNG
 - a. *Description:* Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.
 - b. *A.K.A.:* n/a
 - c. *Identifiers:* Nationality: DPRK; Passport no.: 654110043
9. PAK IL KYU
 - a. *Description:* Official for Korea Ryonbong General Corporation, which specializes in acquisition for DPRK's defense industries and support to Pyongyang's military-related sales. Its procurements also likely support the DPRK's chemical weapons program.
 - b. *A.K.A.:* Pak Il-Gyu
 - c. *Identifiers:* Nationality: DPRK; Passport no.: 563120235; Gender: male

List Update for Aliases:

- JANG BOM SU (KPi.016) — *New AKA:* Jang Hyon U with date of birth 22 February 1958 and diplomatic passport number 836110034, which expires on 1 January 2020.
- JON MYONG GUK (KPi.018) — *New AKA:* Jon Yong Sang with date of birth 25 August 1976 and diplomatic passport number 836110035, which expires on 1 January 2020.

Annex II

Asset Freeze (Entities)

1. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
 - a. *Description:* Foreign Trade Bank is a state-owned bank and acts as the DPRK's primary foreign exchange bank and has provided key financial support to the Korea Kwangson Banking Corporation.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK
2. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
 - a. *Description:* The Korean National Insurance Company is a DPRK financial and insurance company and is affiliated with Office 39.
 - b. *AKA:* Korea Foreign Insurance Company
 - c. *Location:* Central District, Pyongyang, DPRK

3. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
 - a. *Description:* Koryo Credit Development Bank operates in the financial services industry in the DPRK's economy.
 - b. *AKA:* Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK
4. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
 - a. *Description:* Mansudae Overseas Project Group of Companies engaged in, facilitated, or was responsible for the exportation of workers from the DPRK to other nations for construction-related activities including for statues and monuments to generate revenue for the Government of the DPRK or the Workers' Party of Korea. The Mansudae Overseas Project Group of Companies has been reported to conduct business in countries in Africa and Southeast Asia including Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambodia, Chad, the Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Malaysia, Mozambique, Madagascar, Namibia, Syria, Togo, and Zimbabwe.
 - b. *AKA:* Mansudae Art Studio
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK".

“Schedule-IX

United Nations

S/RES/2375 (2017)

Security Council

Distr.: General
11 September 2017

Resolution 2375 (2017)

Adopted by the Security Council at its 8042nd meeting, on 11 September 2017

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013), resolution 2094 (2013), resolution 2270 (2016), resolution 2321 (2016), resolution 2356 (2017), resolution 2371 (2017) as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7), 16 April 2012 (S/PRST/2012/13), and 29 August 2017 (S/PRST/2017/16),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing its gravest concern at the nuclear test by the Democratic People's Republic of Korea (“the DPRK”) on September 2, 2017 in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), and 2371 (2017) and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons (“the NPT”) and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community and *expressing* great concern that the DPRK continues to develop nuclear weapons and ballistic missiles by diverting critically needed resources away from the people in the DPRK who have great unmet needs,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear- and ballistic missile-related activities have destabilized the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Underscoring its concern that developments on the Korean Peninsula could have dangerous, large-scale regional security implications,

Underscoring its commitment to the sovereignty, territorial integrity, and political independence of all States in accordance with the Charter, and *recalling* the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Expressing also its desire for a peaceful and diplomatic solution to the situation, and *reiterating* its welcoming of efforts by Council members as well as other Member States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue,

Underlining the need to ensure international peace and security, and ensure lasting stability in north-east Asia at large and to resolve the situation through peaceful, diplomatic and political means,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on September 2 of 2017 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions;

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation; shall immediately suspend all activities related to its ballistic missile program and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on all missile launches; shall immediately abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities; and shall abandon any other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programs in a complete, verifiable and irreversible manner;

Designations

3. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individual and entities listed in Annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *decides* further that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the individual listed in Annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

4. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006) through the designation of additional WMD-related dual-use items, materials, equipment, goods, and technology, *directs* the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within fifteen days of adoption of this resolution, and *further decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report, and *directs* the Committee to regularly update this list every twelve months;

5. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 8 (a), 8 (b) and 8 (c) of resolution 1718 (2006) through the designation of additional conventional arms-related items, materials, equipment, goods, and technology, *directs* the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within fifteen days of adoption of this resolution, and *further decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report, and *directs* the Committee to regularly update this list every twelve months;

6. *Decides* to apply the measures imposed by paragraph 6 of resolution 2371 (2016) on vessels transporting prohibited items from the DPRK, *directs* the Committee to designate these vessels and to report to the Security Council within fifteen days of adoption of this resolution, *further decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report, and *directs* the Committee to regularly update this list when it is informed of additional violations;

Maritime Interdiction of Cargo Vessels

7. *Calls upon* all Member States to inspect vessels with the consent of the flag State, on the high seas, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo of such vessels contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) or this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

8. *Calls upon* all States to cooperate with inspections pursuant to paragraph 7 above, and, if the flag State does not consent to inspection on the high seas, *decides* that the flag State shall direct the vessel to proceed to an appropriate and convenient port for the required inspection by the local authorities pursuant to paragraph 18 of resolution 2270 (2016), and *decides further* that, if a flag State neither consents to inspection on the high seas nor directs the vessel to proceed to an appropriate and convenient port for the required inspection, or if the vessel refuses to comply with flag State direction to permit inspection on the high seas or to proceed to such a port, then the Committee shall consider designating the vessel for the measures imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) and paragraph 12 of resolution 2321 (2016) and the flag State shall immediately deregister that vessel provided that such designation has been made by the Committee;

9. *Requires* any Member State, when it does not receive the cooperation of a flag State of a vessel pursuant to paragraph 8 above, to submit promptly to the Committee a report containing relevant details regarding the incident, the vessel and the flag State, and *requests* the Committee to release on a regular basis information regarding these vessels and flag States involved;

10. *Affirms* that paragraph 7 contemplates only inspections carried out by warships and other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect, and *underscores* that it does not apply with respect to inspection of vessels entitled to sovereign immunity under international law;

11. *Decides* that all Member States shall prohibit their nationals, persons subject to their jurisdiction, entities incorporated in their territory or subject to their jurisdiction, and vessels flying their flag, from facilitating or engaging in ship-to-ship transfers to or from DPRK-flagged vessels of any goods or items that are being supplied, sold, or transferred to or from the DPRK;

12. *Affirms* that paragraphs 7, 8 and 9 apply only with respect to the situation in the DPRK and shall not affect the rights, obligations, or responsibilities of Member States under international law, including any rights or obligations under the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, with respect to any other situation and *underscores* in particular that this resolution shall not be considered as establishing customary international law;

Sectoral

13. *Decides* that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of all condensates and natural gas liquids, and *decides* that the DPRK shall not procure such materials;

14. *Decides* that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of all refined petroleum products, *decides* that the DPRK shall not procure such products, *decides* that this provision shall not apply with respect to procurement by the DPRK or the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of refined petroleum products in the amount of up to 500,000 barrels during an initial period of three months beginning on 1 October 2017 and ending on 31 December 2017, and refined petroleum products in the amount of up to 2,000,000 barrels per year during a period of twelve months beginning on 1 January 2018 and annually thereafter, provided that (a) the Member State notifies the Committee every thirty days of the amount of such supply, sale, or transfer to the DPRK of refined petroleum products along with information about all the parties to the transaction, (b) the supply, sale, or transfer of refined petroleum products involve no individuals or entities that are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) or this resolution, including designated individuals or entities, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, directly or indirectly, or individuals or entities assisting in the evasion of sanctions, and (c) the supply, sale, or transfer of refined petroleum products are exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals and unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) or this resolution, *directs* the Committee Secretary to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 75 per cent of the aggregate amount for the period

between 1 October 2017 and 31 December 2017 has been reached, and again notify all Member States when 90 percent and 95 percent of such aggregate amount has been reached, *directs* the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 75 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached, also *directs* the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 90 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached, and *further directs* the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 95 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached and to inform them that they must immediately cease selling, supplying, or transferring refined petroleum products to the DPRK for the remainder of the year, *directs* the Committee to make publicly available on its website the total amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK by month and by source country, *directs* the Committee to update this information on a real-time basis as it receives notifications from Member States, *calls upon* all Member States to regularly review this website to comply with the annual limits for refined petroleum products established by this provision, *directs* the Panel of Experts to closely monitor the implementation efforts of all Member States to provide assistance and ensure full and global compliance, and *requests* the Secretary-General to make the necessary arrangements to this effect and provide additional resources in this regard;

15. *Decides* that all Member States shall not supply, sell, or transfer to the DPRK in any period of twelve months after the date of adoption of this resolution an amount of crude oil that is in excess of the amount that the Member State supplied, sold or transferred in the period of twelve months prior to adoption of this resolution, unless the Committee approves in advance on a case-by-case basis a shipment of crude oil is exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals and unrelated to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#), [2270 \(2016\)](#), [2321 \(2016\)](#), [2356 \(2017\)](#), [2371 \(2017\)](#) or this resolution;

16. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, textiles (including but not limited to fabrics and partially or fully completed apparel products), and that all States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the DPRK, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance, and further *decides* that for such sales, supplies, and transfers of textiles (including but not limited to fabrics and partially or fully completed apparel products) for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution, all States may allow those shipments to be imported into their territories up to 90 days from the date of adoption of this resolution with notification provided to the Committee containing details on those imports by no later than 135 days after the date of adoption of this resolution;

17. *Decides* that all Member States shall not provide work authorizations for DPRK nationals in their jurisdictions in connection with admission to their territories unless the Committee determines on a case-by-case basis in advance that employment of DPRK nationals in a member state's jurisdiction is required for the delivery of humanitarian assistance, denuclearization or any other purpose consistent with the objectives of resolutions [1718 \(2006\)](#), [1874 \(2009\)](#), [2087 \(2013\)](#), [2094 \(2013\)](#), [2270 \(2016\)](#), [2321 \(2016\)](#), [2356 \(2017\)](#), [2371 \(2017\)](#), or this resolution, and *decides* that this provision shall not apply with respect to work authorizations for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution;

Joint Ventures

18. *Decides* that States shall prohibit, by their nationals or in their territories, the opening, maintenance, and operation of all joint ventures or cooperative entities, new and existing, with DPRK entities or individuals, whether or not acting for or on behalf of the government of the DPRK, unless such joint ventures or cooperative entities, in particular those that are non-commercial, public utility infrastructure projects not generating profit, have been approved by the Committee in advance on a case-by-case basis, *further decides* that States shall close any such existing joint venture or cooperative entity within 120 days of the adoption of this resolution if such joint venture or cooperative entity has not been approved by the Committee on a case-by-case basis, and States shall close any such existing joint venture or cooperative entity within 120 days after the Committee has denied a request for approval, and *decides*

that this provision shall not apply with respect to existing China-DPRK hydroelectric power infrastructure projects and the Russia-DPRK Rajin-Khasan port and rail project solely to export Russia-origin coal as permitted by paragraph 8 of resolution 2371 (2017);

Sanctions Implementation

19. *Decides* that Member States shall report to the Security Council within ninety days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, *requests* the Panel of Experts, in cooperation with other UN sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist Member States in preparing and submitting such reports in a timely manner;

20. *Calls upon* all Member States to redouble efforts to implement in full the measures in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), and this resolution and to cooperate with each other in doing so, particularly with respect to inspecting, detecting and seizing items the transfer of which is prohibited by these resolutions;

21. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in this resolution and *further decides* that the mandate of the Panel of Experts, as specified in paragraph 26 of resolution 1874 (2009) and modified in paragraph 1 of resolution 2345 (2017), shall also apply with respect to the measures imposed in this resolution;

22. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable or unusable, storage, or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) of items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), or this resolution that are identified in inspections, in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Development of 29 April 1997, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 10 April 1972;

23. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

Political

24. *Reiterates* its deep concern at the grave hardship that the people in the DPRK are subjected to, *condemns* the DPRK for pursuing nuclear weapons and ballistic missiles instead of the welfare of its people while people in the DPRK have great unmet needs, and *emphasizes* the necessity of the DPRK respecting and ensuring the welfare and inherent dignity of people in the DPRK;

25. *Regrets* the DPRK's massive diversion of its scarce resources toward its development of nuclear weapons and a number of expensive ballistic missile programs, *notes* the findings of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance that well over half of the people in the DPRK suffer from major insecurities in food and medical care, including a very large number of pregnant and lactating women and under-five children who are at risk of malnutrition and nearly a quarter of its total population suffering from chronic malnutrition, and, in this context, *expresses* deep concern at the grave hardship to which the people in the DPRK are subjected;

26. *Reaffirms* that the measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively or restrict those activities, including economic activities and cooperation, food aid and humanitarian assistance, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),

2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) and this resolution, and the work of international and non-governmental organizations carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK and *decides* that the Committee may, on a case-by-case basis, exempt any activity from the measures imposed by these resolutions if the committee determines that such an exemption is necessary to facilitate the work of such organizations in the DPRK or for any other purpose consistent with the objectives of these resolutions;

27. *Emphasizes* that all Member States should comply with the provisions of paragraphs 8 (a) (iii) and 8 (d) of resolution 1718 (2006) without prejudice to the activities of the diplomatic missions in the DPRK pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

28. *Reaffirms* its support for the Six Party Talks, *calls* for their resumption, and *reiterates* its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments;

29. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic, and political solution to the situation, and *welcomes* efforts by the Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and stresses the importance of working to reduce tensions in the Korean Peninsula and beyond;

30. *Urges* further work to reduce tensions so as to advance the prospects for a comprehensive settlement;

31. *Underscores* the imperative of achieving the goal of complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner;

32. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch;

33. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. PAK YONG SIK
 - a. *Description:* Pak Yong Sik is a member of the Workers' Party of Korea Central Military Commission, which is responsible for the development and implementation of the Workers' Party of Korea military policies, commands and controls the DPRK's military, and helps direct the country's military defense industries.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Identifiers:* YOB: 1950; Nationality: DPRK

Annex II

Asset Freeze (Entities)

1. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC)
 - a. *Description:* The Central Military Commission is responsible for the development and implementation of the Workers' Party of Korea's military policies, commands and controls

the DPRK's military, and directs the country's military defense industries in coordination with the State Affairs Commission.

b. *AKA:* n/a

c. *Location:* Pyongyang, DPRK

2. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)

a. *Description:* The Organization and Guidance Department is a very powerful body of the Worker's Party of Korea. It directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea, the DPRK's military, and the DPRK's government administration. It also purports to control the political affairs of all of the DPRK and is instrumental in implementing the DPRK's censorship policies.

b. *AKA:* n/a

c. *Location:* DPRK

3. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)

a. *Description:* The Propaganda and Agitation Department has full control over the media, which it uses as a tool to control the public on behalf of the DPRK leadership. The Propaganda and Agitation Department also engages in or is responsible for censorship by the Government of the DPRK, including newspaper and broadcast censorship.

b. *AKA:* n/a

c. *Location:* Pyongyang, DPRK".